संस्करण 16 | हिंदी

सशक्त पंचायत सतत् विकास

75 वर्ष संविधान के

सत्यमेव जयते
पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

पंचायती राज

ग्रामोदय संकल्प

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण

इस संस्करण में

- स्वामित्व योजना के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण
- जेंडर बजट निर्धारण
- राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार - उत्कृष्ट स्थानीय महिला नेताओं की पहचान

“मेरी पंचायत” ऐप को वैश्विक स्तर पर बड़ी उपलब्धि जिनेवा, स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूएसआईएस चैंपियन अवार्ड 2025 जीता

“मेरी पंचायत नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ावा देता है; डिजिटल टूल ज्ञान की कमी को पाटने में महत्वपूर्ण हैं”: केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह

अपनी तरह के विशेष मोबाइल एप्लिकेशन “मेरी पंचायत” को एक्शन लाइन कैटेगरी: सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय कंटेंट के तहत प्रतिष्ठित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी (डब्ल्यूएसआईएस) प्राइज 2025 चैंपियन पुरस्कार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। यह सम्मान डब्ल्यूएसआईएस पहल के तहत इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (आईटीयू) द्वारा आयोजित डब्ल्यूएसआईएस+20 हाई लेवल इवेंट 2025 के दौरान प्रदान किया गया। डब्ल्यूएसआईएस प्राइज 2025 चैंपियन प्रोजेक्ट के रूप में मेरी पंचायत भारत के डिजिटल गवर्नेंस मॉडल की वैश्विक उत्कृष्टता का प्रतीक है। नई दिल्ली में 21 जुलाई को आयोजित एक समारोह में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को औपचारिक रूप से डब्ल्यूएसआईएस चैंपियन प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल, संसदीय सचिव श्री विवेक भारद्वाज और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर, केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने डिजिटल माध्यमों से नागरिक-केंद्रित शासन को आगे बढ़ाने में मददगार रही मेरी पंचायत पहल की सराहना की। उन्होंने पारदर्शिता बढ़ाने, सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर सूचना एवं ज्ञान के अंतर को पाटने के लिए ऐसे डिजिटल साधनों का और अधिक लाभ उठाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

वर्ल्ड समिट ऑन द इन्फोर्मेशन सोसायटी (डब्ल्यूएसआईएस)+20 हाई लेवल इवेंट 2025 जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 7 से 11 जुलाई 2025 तक आयोजित किया गया था। डब्ल्यूएसआईएस फोरम 2025 के रूप में भी चर्चित, इस कार्यक्रम की मेजबानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (आईटीयू) और स्विस कन्फेडरेशन ने की थी और आईटीयू, यूनेस्को, यूएनडीपी और यूएनसीटीएडी ने इसके सह-आयोजक थे। मूल डब्ल्यूएसआईएस के बीस साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, यह प्रगति का आकलन करने, उभरती चुनौतियों का समाधान करने और समावेशी सूचना समाजों के निर्माण के लिए भविष्य की दिशा तय करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। एनआईसी/एनआईसी-एमओपीआर की वरिष्ठ निदेशक, सुश्री सुनीता जैन ने 10 जुलाई को डब्ल्यूएसआईएस+20 उच्च स्तरीय कार्यक्रम 2025 के दौरान जिनेवा में भारत सरकार की ओर से “मेरी पंचायत” के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार प्राप्त किया।

मेरी पंचायत ऐप के बारे में

“मेरी पंचायत ऐप - भारत की पंचायतों के लिए एम-गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्म” भारत की 2.65 लाख ग्राम पंचायतों के 25 लाख से ज्यादा निर्वाचित प्रतिनिधियों और लगभग 95 करोड़ ग्रामीण निवासियों को सशक्त बनाता है और डिजिटल समावेशन और पारदर्शिता के माध्यम से ग्रामीण शासन में बदलाव लाता है। यह पंचायती राज मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की एक पहल है।

मेरी पंचायत ऐप के जरिए, नागरिक अपने मोबाइल उपकरणों पर आसानी से इन सुविधाओं तक पहुंच सकते हैं:

- रियल टाइम पर पंचायत बजट, प्राप्तियां, भुगतान और विकास योजनाएं
- निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों का विवरण
- उनकी पंचायत में सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे और नागरिक सेवाओं की जानकारी
- ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) और परियोजना प्रस्तावों पर नजर
- ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान
- सामाजिक लेखा परीक्षा के साधन, निधि उपयोग डेटा, और जियो-टैग्ड और जियो-फेंस्ड सुविधाओं के साथ शिकायत निवारण
- समावेशन सुनिश्चित करने के लिए 12+ भारतीय भाषाओं का समर्थन करने वाला बहुभाषी इंटरफेस

यह ऐप नागरिकों को नई परियोजनाओं का प्रस्ताव देने, कार्यान्वित कार्यों की समीक्षा और मूल्यांकन करने तथा ग्राम सभा के एजेंडे और निर्णयों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, जिससे सहभागी लोकतंत्र और नागरिक सहभागिता मजबूत होती है।

विषयवस्तु

प्रधान संपादक

श्री विवेक भारद्वाज, आई.ए.एस.
सचिव,
पंचायती राज मंत्रालय

संपादक

डॉ. विजय कुमार बेहरा, आई.ई.एस.
आर्थिक सलाहकार

संपादकीय सहयोग

अलोक पंड्या
वरिष्ठ परामर्शदाता, मीडिया

2

माननीय मंत्री
द्वारा संदेश

3

माननीय राज्य मंत्री
द्वारा संदेश

4

माननीय सचिव
द्वारा संदेश

इस संस्करण में

05

SVAMITVA (स्वामित्व) योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्डों में सह-स्वामित्व के माध्यम से महिला सशक्तिकरण

08

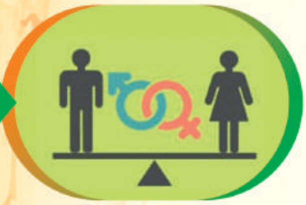

जेंडर बजटिंग के माध्यम से महिला पंचायती राज प्रतिनिधियों का सशक्तिकरण

10

गंभीर बीमारियों के प्रति महिलाओं की संवेदनशीलता बढ़ाने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

16

"महिला सशक्तिकरण, जीवन में परिवर्तन" असम के बोको विकासखंड की लुकी ग्राम पंचायत की केस स्टडी

20 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार – उत्कृष्ट स्थानीय महिला नेताओं की पहचान

24 सशक्त महिलाएं, सशक्त समुदाय: जल जीवन मिशन की श्रेष्ठ प्रथाएं

28 स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण: महिलाओं के नेतृत्व में स्वच्छता के उत्कृष्ट उदाहरण

32 कल्पना से हकीकत तकः कैसे ये आदर्श महिला पंचायतें बनीं

35 फुलेरा की सरपंच ने अपने कार्यों से सिद्ध किया – असली प्रधान कौन

37 राज्य पंचायती राज अधिनियमों की पुनर्रचना: प्रभावी पंचायती राज संस्थानों की आवश्यकता

राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह
RAJIV RANJAN SINGH ALIAS LALAN SINGH

सत्यमेव जयते

पंचायती राज मंत्री
और मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री
भारत सरकार
Minister of Panchayati Raj and
Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
Government of India

DO. No. 27481/MIN PR&FAHD/2025

संदेश

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'ग्रामोदय संकल्प' के 16वें संस्करण का मुख्य विषय **"पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण"** है। यह अंक पंचायती राज संस्थाओं को समावेशी संस्थाओं के रूप में सशक्त बनाने के प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जहां महिलाओं को उनकी पूर्ण क्षमता को पहचानने और सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रूप से योगदान देने के लिए प्रोत्साहित एवं समर्थित किया जाता है।

प्राचीन काल से भारत की स्थानीय शासन व्यवस्था में महिला नेतृत्व की प्रधानता एवं महिला सहभागिता रही है। संविधान के 73 वें संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था को ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन इकाई के रूप में पहचान मिली है। संविधान के अनुच्छेद 243 डी के अंतर्गत महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित पदों पर न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, किंतु 21 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत तक आरक्षण अनिवार्य किया है।

देश में लगभग 31.5 लाख निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधी हैं, जिसमें लगभग 46% महिलाएं हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी ने ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण को मजबूत आधार दिया है। पंचायती राज मंत्रालय महिला पंचायत प्रतिनिधियों के पर्याप्त क्षमता निर्माण की दिशा में सटीक रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, ताकि ग्राम विकास में में महिला नेतृत्व एक निर्णायक भूमिका निभाए।

माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के आह्वान एवं वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमारी प्रतिबद्धता में महिला सशक्तिकरण एवं उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना एक महत्वपूर्ण विषय है। पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए जो 9 विषय निर्धारित किए हैं, उनमें से एक "महिला हितैषी ग्राम पंचायत" है।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सक्रिय नेतृत्व भूमिका ने महिला-प्रधान विकास पहलों को गति दी है, जो जमीनी स्तर पर लैंगिक समावेशी एवं महिला अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। यह परिवर्तनकारी दृष्टिकोण न केवल महिला सशक्तिकरण को उसके वास्तविक रूप में आगे बढ़ाता है, बल्कि यह भी प्रदर्शित करता है कि स्थानीय शासन किस प्रकार बालिकाओं के लिए अनुकूल वातावरण और भावी महिला नेतृत्व को पोषित करने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है।

मुझे पूरा विश्वास है कि ग्रामोदय संकल्प का यह अंक पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर व्यापक दृष्टिकोण एवं हमारे प्रयासों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करेगा और विकसित भारत के मिशन में महिलाओं की भागीदारी को प्रेरित करेगा।

(राजीव रंजन सिंह)

Room No. 234, B- Wing, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001 (India),
Ph. +91 11-23380780/81/82 Fax: +91 11- 23380783 Resi. 011-23782781/82

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल
राज्य मंत्री
मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी
एवं
पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

पंचायती राज

Prof. S.P. SINGH BAGHEL
Minister of State for
Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
and
Panchayati Raj
Government of India

संदेश

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा **"पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण"** विषय पर आधारित ग्रामोदय संकल्प के 16वें अंक का प्रकाशन एक अत्यंत सार्थक और समयोचित प्रयास है। यह पहल इस ओर ध्यान आकर्षित करती है कि कैसे पंचायतें ग्रामीण महिलाओं को अवसरों तक पहुंच, सूचित निर्णय लेने की क्षमता, और सामाजिक विकास की मुख्यधारा में सक्रिय भागीदारी का मंच प्रदान कर रही हैं।

"सबका साथ, सबका विकास" की माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना तभी पूर्ण रूप से साकार हो सकती है जब समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। देश की आधी आबादी को शासन और सामुदायिक विकास में बराबरी का स्थान दिए बिना विकसित भारत का सपना अधूरा रहेगा।

73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जो एक ऐतिहासिक कदम था। इस दिशा में और आगे बढ़ते हुए, आज 21 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश इस आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर चुके हैं। इस नीति के फलस्वरूप, देश की लगभग 2.5 लाख पंचायतों में चुने गए 3.15 मिलियन प्रतिनिधियों में लगभग 46% महिलाएं हैं—जो लोकतंत्र की असली जड़ों में महिला सशक्तिकरण की पुष्टि करते हैं।

मंत्रालय द्वारा महिलाओं को सक्षम नेतृत्वकर्ता के रूप में तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक सुदृढ़ श्रृंखला चलाई जा रही है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप आज महिलाएं पंचायतों में न केवल निर्णय ले रही हैं, बल्कि विकास की दिशा को भी तय कर रही हैं। महिला नेतृत्व आधारित विकास मॉडल ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं के लिए समावेशी, सुरक्षित और अनुकूल वातावरण तैयार कर रहे हैं।

स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (LSDGs) को लागू करने के लिए मंत्रालय ने नौ विषयगत क्षेत्र निर्धारित किए हैं, जिनमें "महिला-हितैषी ग्राम पंचायत" एक प्रमुख लक्ष्य है। यह लक्ष्य न केवल महिलाओं और किशोरियों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण पर बल देता है, बल्कि पंचायतों को उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी भी बनाता है। देश भर की अनेक पंचायतें इस दिशा में अनुकरणीय प्रयास कर रही हैं और अपने गांवों को सचमुच महिला-हितैषी बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्यरत हैं।

ग्रामोदय संकल्प का यह विशेषांक "पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण" विषय पर प्रेरणादायक लेखों, बेहतरीन व्यवहारों और नीतिगत दृष्टिकोणों को समेटे हुए है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह अंक निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, पंचायत कर्मियों, नीति-निर्माताओं और नागरिकों के लिए न केवल उपयोगी सिद्ध होगा, बल्कि उन्हें इस दिशा में नए विचार और प्रेरणा भी प्रदान करेगा।

(प्रो. एस.पी.सिंह बघेल)

Office: Room No. 392, 'E' Wing, 3rd Floor, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
Residence: 7, K. Kamraj Lane, New Delhi
Phone: 011-23782143, 23782548, 23782518, E-mail Id: mos-mopr@gov.in

विवेक भारद्वाज, भा.प्र.से.
सचिव
Vivek Bharadwaj, IAS
Secretary

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड,
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
Government of India
Ministry of Panchayati Raj
Dr. Rajendra Prasad Road,
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि ग्रामोदय संकल्प के 16वें अंक का प्रकाशन **"पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण"** विषय पर केंद्रित है। यह अंक एक सशक्त और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार महिलाएं न केवल स्थानीय शासन में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं, बल्कि आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता के साथ उसका नेतृत्व भी कर रही हैं और ग्रामीण भारत के भविष्य को आकार दे रही हैं।

सरकार का ध्येय केवल महिला सशक्तिकरण पर ही नहीं, बल्कि महिला-नेतृत्व वाले विकास पर भी रहा है। स्थानीय स्वशासन प्रणाली में महिलाओं के लिए संविधान प्रदत्त आरक्षण और उनके साहस एवं योग्यता के बल पर स्वेच्छा से प्रभावशाली प्रवेश के बावजूद, महिलाओं को अक्षम या कम सक्षम मानने जैसी पूर्व धारणाएं आज भी प्रचलित है। हमारा सामूहिक प्रयास ऐसी पूर्व निर्धारित सोच को दूर करने का रहा है।

पत्रिका के इस अंक में नेतृत्व, योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रबंधन तथा चुनौतियों आदि से संबंधित क्षेत्रीय स्तर पर महिलाओं के वास्तविक अनुभवों और प्रेरणादायक कहानियों को स्थान दिया गया है। उनकी उपलब्धियों के साथ-साथ स्थानीय स्वशासन और समाज में उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु उठाए गए कदमों का भी संकलन किया गया है। 'स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्डों में सह-स्वामित्व', 'जेंडर बजट', 'सिर्फ अपनी इच्छाशक्ति से प्रॉक्सी-सरपंच प्रथा को समाप्त करना' तथा 'महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल' जैसे विषयों पर आधारित लेखों ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया आयाम जोड़ा है। महिला-नेतृत्व वाली पंचायतों द्वारा ग्रामीण जनों के आजीविका संवर्धन और सुरक्षा, जल जीवन मिशन (JJM) के अंतर्गत जल प्रबंधन, निरंतर स्वच्छता अभियान के माध्यम से स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्राप्त करना, इन श्रेष्ठ प्रथाओं पर आधारित लेख उनके साहस, दृढ़ संकल्प और अपनी क्षमता सिद्ध करने के प्रति बढ़ते आत्मविश्वास के प्रेरक उदाहरण हैं।

मुझे विश्वास है कि यह अंक पाठकों और योगदानकर्ताओं, दोनों के लिए व्यावहारिक रूप से उपयोगी सिद्ध होगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला-नेतृत्व केंद्रित विकास के लक्ष्य की ओर व्यापक जागरूकता और सकारात्मक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने में सहायक बनेगा।

विवेक भारद्वाज

(विवेक भारद्वाज)

Tel.: 011-23389008, 23074309 Fax : 011-23389028 E-mail : secy-mopr@nic.in

स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड में सह-स्वामित्व के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण

सुशील कुमार लोहानी,
अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय

ग्रामीण भारत में, महिलाओं ने लंबे समय से कृषि, घरेलू प्रबंधन और सामुदायिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, उन्हें संपत्ति के स्वामित्व और भूमि अधिकारों के लिए प्रणालीगत बाधाओं का सामना करना पड़ा है। ऐतिहासिक रूप से, संपत्ति के स्वामित्व को बड़े पैमाने पर घरों के पुरुष सदस्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता रहा है, जिससे महिलाओं को उस भूमि की कानूनी मान्यता नहीं मिल पाती है, जिस पर वे खेती और रखरखाव में मदद करती हैं। संपत्ति अधिकारों के इस असमान वितरण ने महिलाओं की वित्तीय संसाधनों, अवसरों और स्वतंत्रता तक पहुँच को सीमित कर दिया है।

स्वामित्व योजना में महिलाओं के लिए सह-स्वामित्व की शुरूआत ने संपत्ति के अधिकारों की धारणा और व्यवहार में उल्लेखनीय बदलाव लाया है, जिससे महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में समान हिस्सा मिला है और उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया गया है। इस अभिनव कार्यक्रम का उद्देश्य संपत्ति कार्ड जारी करके ग्रामीण परिवारों को संपत्ति का स्वामित्व प्रदान करना है। महिलाओं के लिए सह-स्वामित्व की शुरुआत करके, यह योजना लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

स्वामित्व योजना ने महिलाओं को आधिकारिक तौर पर भूमि के सह-स्वामित्व के रूप में मान्यता देकर ग्रामीण भारत में संपत्ति के स्वामित्व के परिदृश्य को बदल दिया है। यह परिवर्तन केवल प्रतीकात्मक नहीं है; इसके ठोस, व्यावहारिक लाभ हैं, जो महिलाओं के जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रामीण भारत में भूमि का स्वामित्व केवल एक वित्तीय परिसंपत्ति नहीं है; यह सामाजिक स्थिति और सुरक्षा का एक स्रोत भी है। कई मामलों में, संपत्ति के अधिकारों की कमी ने महिलाओं को वित्तीय अस्थिरता, विस्थापन और यहां तक कि घरेलू हिंसा के प्रति संवेदनशील बना

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, 24 अप्रैल 2024 को रीवा, मध्यप्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम के दौरान स्वामित्व योजना के तहत तैयार किया गया संपत्ति कार्ड एक महिला लाभार्थी को सौंपते हुए।

दिया है। महिलाओं को भूमि पर कानूनी अधिकार प्रदान करके, स्वामित्व योजना न केवल उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उन्हें यह निर्णय लेने की शक्ति भी देती है कि भूमि का उपयोग कैसे किया जाए, कौन इसका उपयोग कर सकता है और इसके संसाधनों से कैसे लाभ उठाया जाए।

स्वामित्व योजना का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि यह महिलाओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता के द्वार खोलता है। भूमि स्वामित्व के साथ ऋण, ऋण/ क्रेडिट और बीमा जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने की क्षमता आती है, जो पहले अक्सर महिलाओं की पहुँच से बाहर होती थी। औपचारिक भूमि शीर्षकों के बिना, महिलाएँ अक्सर वित्तीय सहायता के लिए या अपने परिवार के भविष्य में निवेश करने के लिए संपत्ति का लाभ उठाने में असमर्थ होती थीं।

संपत्ति के स्वामित्व में सह-स्वामियों के रूप में महिलाओं को शामिल करने से, ग्रामीण महिलाओं के पास अब ऋण के लिए अपनी भूमि को संपार्श्विक रूप में उपयोग करने की क्षमता है। इससे पहले से ही सकारात्मक परिणाम मिलने लगे हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के पुणे जिले में, स्थानीय अधिकारियों के एक ठोस प्रयास से संपत्ति के स्वामित्व में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। महिलाओं को संपत्तियों का सह-स्वामी बनने के लिए प्रोत्साहित करके, जिले में 88% आवासीय संपत्तियाँ अब संयुक्त रूप से या पूरी तरह से महिलाओं के स्वामित्व में हैं, जो पहल की शुरुआत के केवल 16% में बहुत बड़ी वृद्धि है। इस बदलाव ने महिलाओं को बैंकों से ऋण प्राप्त करने, व्यवसाय स्थापित करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। इसने संपत्ति से संबंधित विवादों को भी कम किया है, जिससे महिलाओं को अपने आर्थिक भविष्य पर अधिक नियंत्रण मिला है।

मध्य प्रदेश में, राज्य के भूमि राजस्व कोड के तहत महिलाओं को सह-स्वामियों के रूप में शामिल करने से भी महिलाओं को इसी तरह सशक्त बनाया गया है। मध्य प्रदेश के हरदा की श्रीमती शालिया सिद्दीकी जैसी महिलाओं

ने बताया कि स्वामित्व योजना के माध्यम से संपत्ति कार्ड प्राप्त करने से न केवल उनकी ज़मीन सुरक्षित हुई, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने और ऋण, कृषि सहायता और अन्य वित्तीय सेवाओं जैसे संसाधनों तक पहुँचने के लिए कानूनी सहायता भी मिली है।

संपत्ति कार्ड पर महिलाओं के नाम शामिल करना न केवल एक वित्तीय और कानूनी विकास है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक उपलब्धि भी है। कई महिलाओं के लिए, संपत्ति का स्वामित्व उनके परिवारों और समुदायों के भीतर सुरक्षा, अपनेपन और मान्यता की भावना प्रदान करता है। यह उन गहरी जड़ें जमाए हुए सांस्कृतिक मानदंडों से लड़ने में मदद करता है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से संपत्ति से संबंधित निर्णयों में महिलाओं को दरकिनार कर दिया है।

महिलाओं के लिए भूमि अधिकारों को सुरक्षित करके, स्वामित्व योजना लंबे समय से चली आ रही लैंगिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देती है और महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाने का अधिकार देती है। यह परिवार और समाज में उनकी स्थिति को बढ़ाता है, उन्हें घरेलू संसाधनों पर अधिक नियंत्रण प्रदान करता है। भूमि के कानूनी स्वामित्व के साथ, महिलाओं के विस्थापित होने या संपत्ति के विवादों में उनके अधिकारों के हनन की संभावना कम होती है।

इसके अलावा, यह योजना महिलाओं को वित्तीय या व्यक्तिगत संकट के समय अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, भूमि स्वामित्व घरेलू हिंसा से सुरक्षा का एक रूप प्रदान कर सकता है, क्योंकि महिलाओं के पास अब साझा संपत्ति पर अपने अधिकारों का दावा करने के लिए कानूनी समर्थन है। यह शोषण के जोखिम को भी कम करता है, क्योंकि इससे महिलाओं को अपनी संपत्ति पर गैरकानूनी कार्यों या दावों को चुनौती देने के लिए कानूनी अधिकार मिलता है।

स्वामित्व योजना संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप है, विशेष रूप से लक्ष्य 1, जिसका उद्देश्य सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करना है, और उप लक्ष्य 1.4.2, जो महिलाओं सहित कमजोर समूहों के लिए भूमि स्वामित्व को मजबूत करने पर जोर देता है। महिलाओं को संपत्ति के मालिक के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान करके, यह योजना इन वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

महिलाओं के लिए सुरक्षित भूमि अधिकार कई लाभ प्रदान करते हैं, जिसमें वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच, उनके परिवारों के लिए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य परिणाम, तथा लिंग आधारित हिंसा में कमी शामिल है। जिन महिलाओं के पास भूमि का स्वामित्व है, उन्हें अपने आर्थिक विकल्पों पर अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति और सामुदायिक मामलों में भागीदारी में सुधार होता है। जैसे-जैसे महिलाएँ आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक सशक्त होती जाती हैं, वे अपने समुदायों में पुनर्निवेश कर सकती हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत कर सकती हैं और सतत विकास में योगदान दे सकती हैं।

स्वामित्व योजना की सफलता महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पहले से ही देखे गए सकारात्मक बदलावों से स्पष्ट है। 13 राज्यों ने पहले ही संपत्ति में महिलाओं के सह-स्वामित्व के विचार को अपनाया है, उम्मीद है कि अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे, जिससे ग्रामीण भारत की महिलाओं को इस परिवर्तनकारी योजना का लाभ मिलेगा।

यह योजना न केवल कानूनी मान्यता प्रदान करती है, बल्कि व्यावहारिक लाभ भी प्रदान करती है जो महिलाओं को उनके दैनिक जीवन में सशक्त बनाती है। महिलाओं को भूमि का सह-स्वामित्व प्रदान करके, स्वामित्व योजना बाधाओं को तोड़ रही है और महिलाओं को अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने का अवसर दे रही है। यह इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे कानूनी सुधार सामाजिक और आर्थिक बदलाव ला सकते हैं, ग्रामीण भारत में महिलाओं के जीवन को बेहतर बना सकते हैं और इस प्रक्रिया में लैंगिक समानता को बढ़ावा दे सकते हैं।

जैसे-जैसे इस पहल की गति बढ़ती जा रही है, यह स्पष्ट है कि स्वामित्व योजना केवल एक नीति से कहीं अधिक है, यह महिलाओं को एक मजबूत आवाज, अधिक वित्तीय स्वतंत्रता और उज्जवल भविष्य प्रदान कर रही है।

***

जेंडर बजट के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व को सशक्त बनाना

संतोष कुमार सिन्हा,
उप निदेशक, एमओपीआर
डॉ. भरत चंद्र राउत,
परामर्शदाता, एमओपीआर

भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए पंचायतों में सीटों के आरक्षण सहित महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यह देखना उत्साहजनक है कि इक्कीस राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने पंचायतों में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। विकसित भारत के लिए यह संकल्प वर्तमान में लिंग आधारित बजट की मदद से लागू किया जा रहा है।

लिंग आधारित बजट (जीबी) एक सार्वजनिक वित्त उपकरण है जिसका उपयोग लिंग असमानता को कम करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों के लिए धनराशि आवंटित करने के लिए किया जाता है, जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) 2030 (लक्ष्य 5) के साथ संरेखित है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संसाधनों का आवंटन और उपयोग दोनों लिंगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, इसमें नीतियों और बजट की योजना और निष्पादन में लिंग के दृष्टिकोण को एकीकृत करना शामिल है। जीबी संसाधनों और अवसरों तक पहुँच में समानता को बढ़ावा देता है, न कि कठोर बजट विभाजन को।

1980 के दशक में राष्ट्रीय बजट में लैंगिक परिप्रेक्ष्य को शामिल किया गया था, जब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति द्वारा लैंगिक परिप्रेक्ष्य के लिए कार्य

योजनाएँ स्थापित की गई थीं। सरकार ने 2005-06 से लैंगिक बजट विवरण (जीबीएस) जारी किए हैं। जीबीएस के तीन भाग हैं अर्थात् भाग-क महिलाओं के लिए 100% आवंटन वाली योजनाओं में व्यय की जानकारी देता है; भाग-ख महिलाओं के लिए 30-99% आवंटन वाले कार्यक्रमों की जानकारी देता है और भाग-ग महिलाओं के लिए 30% से कम प्रावधान वाली महिला-समर्थक योजनाओं की रिपोर्ट करता है।

पंचायती राज मंत्रालय अलग-अलग वार्ड सभा और महिला सभा की बैठकों की सुविधा प्रदान करने, ग्राम सभा और पंचायत की बैठकों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और प्रभावी नेतृत्व के लिए उनकी क्षमता बढ़ाने हेतु निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) के साथ जुड़ रहा है। मंत्रालय पंचायतों की ईडब्ल्यूआर की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि वे ग्राम पंचायतों में प्रभावी ढंग से काम कर सकें और अपनी नेतृत्व भूमिकाओं का सही ढंग से निर्वहन कर सकें। मंत्रालय ग्राम पंचायत विकास योजनाओं और पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जा रहीं विभिन्न योजनाओं की तैयारी के लिए ग्राम सभा की बैठकों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से पंचायतों के कामकाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को भी प्रोत्साहित कर रहा है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए 4.49 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो वित्त वर्ष 2024-25 में जीबीएस आवंटन 3.27 लाख करोड़ रुपये से 37.25% अधिक है। केंद्रीय बजट में लिंग बजट का हिस्सा बढ़कर 8.86% हो गया है, जिसमें 49 मंत्रालयों/विभागों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों ने आवंटन की सूचना दी है, जो जीबीएस की स्थापना के बाद से सबसे अधिक संख्या है। पंचायती राज मंत्रालय सहित बारह नए मंत्रालयों/विभागों ने जीबीएस

चित्र 1: भाग ख: बजट अनुमान 2025-26 में महिलाओं के लिए कम से कम 30% प्रावधान (रु. करोड़ मे)

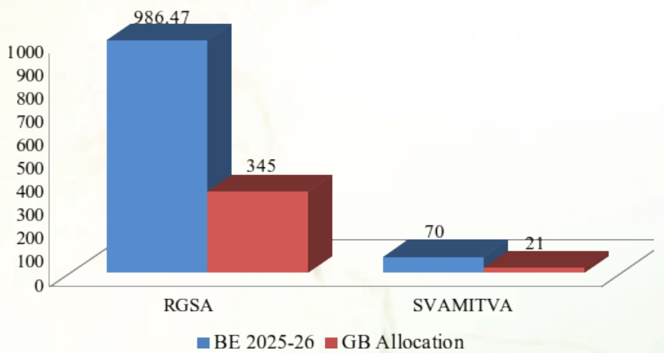

चित्र 2: भाग ग - महिलाओं के लिए 30% से कम आवंटन (रु. करोड़ में)

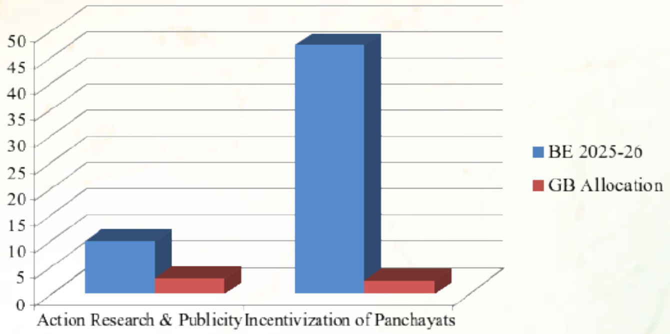

2025-26 में आवंटन की सूचना दी है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पंचायती राज मंत्रालय की योजनाओं का लिंग आधारित बजट विवरण इस प्रकार है;

भारत की निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (ईडब्ल्यूआर) जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव ला रही हैं, जिसमें 1.4 मिलियन महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में सेवारत हैं जो स्थानीय स्तर पर एसडीजी की प्राप्ति के माध्यम से लैंगिक समानता, गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास का समर्थन कर रही हैं। उल्लेखनीय रूप से, ' विषय 9: महिला-हितैषी पंचायत' महिलाओं के हितों की रक्षा करने और प्रोन्नत करने के महत्वपूर्ण उद्देश्य को रेखांकित करती है, जबकि जमीनी स्तर पर उनके अस्तित्व, संरक्षण, विकास और भागीदारी के अधिकारों को भी सुनिश्चित करती है। महिलाओं को प्रभावी रूप से नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाने हेतु, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने सहित विभिन्न पहल शुरू की गईं हैं। इस वर्ष की शुरुआत में, आईआईएम अहमदाबाद जैसे प्रमुख प्रबंधन संस्थानों में ईडब्ल्यूआर सहित पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु एक अभिनव और इस प्रकार की पहली पहल - नेतृत्व और प्रबंधन विकास कार्यक्रम - शुरू किया गया है।

लिंग बजट एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, जहां गंभीर मुद्दों जैसे कि मध्यम आय वर्गीय परिवारों में पुत्र संतान को प्राथमिकता देना, ग्रामीण परिवारों में गरीबी से ज्यादातर महिलाओं का सामना और शहरी कॉर्पोरेट कार्य संस्कृति में महिलाओं के लिए सीमित अवसर (ग्लास सीलिंग) आदि को धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से संबोधित किया जा सकता है। जैसा कि डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने कहा था, *किसी समाज द्वारा की गई प्रगति का स्तर उसकी महिलाओं द्वारा की गई प्रगति का प्रतिबिंब होता है।*

***

गंभीर बीमारियों के प्रति महिलाओं की संवेदनशीलता बढ़ाने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

डॉ. मृगेन डेका,
टीबी उन्मूलन के लिए डब्ल्यूएचओ के राष्ट्रीय परामर्शदाता

परिचय

जैविक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से दुनिया भर में महिलाएँ विभिन्न भयंकर बीमारियों से असमान रूप से प्रभावित होती हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएँ अपने जीवन का 25% से अधिक ख़राब स्वास्थ्य के साथ जीती हैं। वर्ष 2024 में मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट (MHI) के सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम द्वारा प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि पुरुषों और महिलाओं के बीच स्वास्थ्य अंतर को कम करने से सालाना 75 मिलियन विकलांगता-समायोजित जीवन वर्ष (DALY) और वार्षिक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में $1 ट्रिलियन की वृद्धि हो सकती है।

महिलाएँ यौन संपर्क में आने और यौन संचारित रोगों जैसे कि ह्मन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV) से पीड़ित होने की अधिक संभावना रखती हैं, इसके अलावा, कम उम्र में विवाह और बच्चे पैदा करना वर्तमान चरम सामाजिक-आर्थिक असमानता के लिए ज़िम्मेदार हैं।।

यह लेख गंभीर बीमारियों के प्रति महिलाओं की संवेदनशीलता पर वैश्विक और भारतीय दृष्टिकोण की जाँच करता है, सांख्यिकीय अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, मौजूदा

---

[1]WEF_Blueprint_to_Close_the_Women's_Health_Gap_2025.pdf

[2]https://www.weforum.org/publications/closing-the-women-s-health-gap-a-1-trillion-opportunity-to-improve-lives-and-economies/

नीतियों पर चर्चा करता है और महिलाओं के स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए समाधान सुझाता है। ग्रामीण भारत में इन स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने में पंचायती राज प्रणाली की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया है।

महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण:

महिला रोगों का वैश्विक और भारतीय बोझ

वैश्विक स्तर पर और भारत में महिलाओं को प्रभावित करने वाली बीमारियों का बोझ एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ है, जिसमें कैंसर, तपेदिक, मातृ और प्रजनन स्वास्थ्य समस्याएं, गैर-संचारी रोग (एनसीडी) और कुपोषण जैसी कई स्थितियां शामिल हैं। लक्षित सुधार करने और महिलाओं के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए इन स्वास्थ्य चुनौतियों को समझना महत्वपूर्ण है।

ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज (जीबीडी) के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय महिलाओं की मृत्यु में संचारी, मातृ, नवजात और प्रजनन रोगों का योगदान 1990 में 53% से घटकर 2013 में 30% से भी कम हो गया है, जबकि महिलाओं में सभी मौतों में एनसीडी का योगदान 38% से बढ़कर 60% हो गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, आत्महत्या से होने वाली मौतों में सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय समूह गृहिणियां हैं। पिछले 25 वर्षों से यह लगातार 20% के आसपास बना हुआ है।

कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में मृत्यु का एक प्रमुख कारण बना हुआ है, जिसमें स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर सबसे अधिक प्रचलित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, 2022 में लगभग 670,000 महिलाओं की स्तन कैंसर से मृत्यु हुई, जो कि शीघ्र पहचान और बेहतर उपचार रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। भारत में, यह बोझ समान रूप से महत्वपूर्ण है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) का अनुमान है कि महिलाओं में होने वाले सभी कैंसर के मामलों में स्तन कैंसर का योगदान 14% है, जबकि गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का योगदान लगभग 6% है। स्क्रीनिंग और जागरूकता कार्यक्रमों तक सीमित पहुँच, सामाजिक-आर्थिक बाधाओं के साथ, अक्सर देर से निदान और उपचार के खराब परिणामों की ओर ले जाती है।

तपेदिक (टीबी) दुनिया भर में महिलाओं के लिए एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। वैश्विक टीबी के बोझ में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30% है, और हर साल लगभग 1.2 मिलियन नए मामले सामने आते हैं। भारत में, जहां दुनिया के एक तिहाई टीबी के मामले हैं, हर साल लगभग 11,21,000 महिलाओं में टीबी का निदान किया जाता है। राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपचार की उपलब्धता के बावजूद, सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ, स्टिग्मा और लिंग-संबंधी असमानताएँ समय पर निदान और उपचार के नियमों का पालन करने में बाधक हैं।

मातृ मृत्यु दर और प्रजनन स्वास्थ्य के मामले गंभीर चिंता का विषय बने हुए हैं, विशेषकर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में। वर्ष 2020 में लगभग 95% मातृ मृत्यु ऐसे क्षेत्रों में हुई,जिसमें उप-सहारन अफ्रीका और दक्षिण एशिया में सबसे अधिक बोझ था। जबकि भारत ने प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को

[3]Institute for Health Metrics and Evaluation, Global Burden of Disease, 2013.
[4]National Crime Records Bureau, Accidental Deaths and Suicides in India, 2014
[5]https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer
[6]https://www.icmr.gov.in/icmrobject/custom_data/1702893085_icmr_press_release_ncrp_18082020.pdf
[7]Global Tuberculosis Report 2024

97 तक कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) 2023 के अनुसार, महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताएँ बनी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को गुणवत्तापूर्ण मातृ स्वास्थ्य सेवा तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे प्रसव के दौरान रोकी जा सकने वाली मौतें और जटिलताएँ हो रही हैं।

गैर-संचारी रोग (NCD) वैश्विक स्तर पर महिलाओं के लिए एक प्रमुख स्वास्थ्य खतरे के रूप में उभर रहे हैं। कार्डियोवैस्कुलर रोग (सीवीडी) महिलाओं में मृत्यु का प्रमुख कारण है, जो दुनिया भर में सभी महिला मृत्यु दर का 35% है। भारत में, महिलाओं में मधुमेह, उच्च रक्तचाप और स्ट्रोक के बढ़ते प्रचलन का कारण बदलती जीवनशैली, शहरीकरण और निवारक स्वास्थ्य सेवा के बारे में जागरूकता की कमी है। एनसीडी के बढ़ते बोझ के कारण शीघ्र निदान, जीवनशैली में बदलाव और बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुँच पर केंद्रित सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

कुपोषण और एनीमिया महिलाओं को असमानी से प्रभावित कर रहे हैं, विशेष रूप से कम संसाधन वाले क्षेत्रों में। वैश्विक स्तर पर, प्रजनन आयु की लगभग 30% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, एक ऐसी स्थिति जो मातृ और बाल स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। भारत में, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के निष्कर्ष बताते हैं कि 15-49 वर्ष की आयु की 57% से अधिक महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। यह उच्च प्रसार आहार की कमियों, खराब मातृ स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सुधारों तक अपर्याप्त पहुंच से जुड़ा हुआ है, जो इस लगातार मुद्दे को संबोधित करने के लिए लक्षित रणनीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

इन बीमारियों के बोझ को दूर करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार, जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ाना, सामाजिक स्टिग्मा को कम करना और महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। नीतिगत ढांचे और बहु-क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना इन स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने और भारत और वैश्विक स्तर पर महिलाओं के समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

महिला स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए मौजूदा नीतियाँ

वैश्विक पहल

महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया कई प्रमुख नीतियों और पहलों द्वारा आकार लेती है, जिनका उद्देश्य व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य असमानताओं को कम करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। ये नीतियाँ मातृ मृत्यु दर, प्रजनन स्वास्थ्य और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर जैसी विशिष्ट स्वास्थ्य स्थितियों का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, साथ ही सतत विकास और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए व्यापक वैश्विक लक्ष्यों के साथ संरेखित होती हैं|

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के नेतृत्व में महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य के लिए वैश्विक रणनीति (2016-2030), एक प्रमुख पहल है जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि प्रत्येक महिला, बच्चा और किशोर न केवल जीवित रहे बल्कि फले-फूले भी। यह सतत विकास लक्ष्य (SDG) 3 के साथ संरेखित है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात को प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 70 से कम करना है, जो मातृ और प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहल है सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन पहल, जिसे 21वीं सदी के अंत तक सर्वाइकल कैंसर को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के लिए WHO द्वारा शुरू किया गया है। यह प्रयास 90-70-90 रणनीति का अनुसरण करता है: यह सुनिश्चित करना कि 90% लड़कियों को 15 वर्ष की आयु तक पूर्ण HPV टीकाकरण प्राप्त हो, 70% महिलाएँ 35 और 45 वर्ष की आयु तक उच्च-प्रदर्शन स्क्रीनिंग से गुज़रें, और सर्वाइकल रोग से पीड़ित 90% लोगों को उचित उपचार और देखभाल मिले। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) कार्यक्रमों में HPV टीकाकरण और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग को

[8]https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality
[9]https://world-heart-federation.org/what-we-do/women-cvd/
[10]https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/anaemia_in_women_and_children

एकीकृत करके, इस पहल का उद्देश्य असमानताओं को कम करना और दुनिया भर में महिलाओं के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुँच प्रदान करना है।

सतत विकास लक्ष्य (SDG) भी महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। SDG 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) स्वास्थ्य सेवा पहुँच में सुधार, मातृ मृत्यु दर को कम करने और HIV/AIDS, तपेदिक और मलेरिया जैसी प्रमुख महामारियों से निपटने पर केंद्रित है। एसडीजी 5 (लैंगिक समानता) महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों को सुनिश्चित करता है, जिसमें गर्भनिरोधक और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच शामिल है। इसके अतिरिक्त, अन्य एसडीजी महिलाओं के स्वास्थ्य परिणामों में योगदान करते हैं। एसडीजी 2 (जीरो हंगर) कुपोषण और एनीमिया का समाधान करता है, विशेष रूप से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में। एसडीजी 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) मासिक धर्म स्वच्छता और स्वच्छता पहुंच में सुधार करता है, संक्रमण और प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं को कम करता है। एसडीजी 8 (सभ्य कार्य और आर्थिक विकास) महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तीकरण और कार्यस्थल स्वास्थ्य सेवा लाभों को बढ़ावा देता है, जिससे एक स्वस्थ कार्यबल को बढ़ावा मिलता है।

भारतीय नीतियां और कार्यक्रम

भारत में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार

भारत ने महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा में सुधार करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, विशेषकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में। कुल प्रजनन दर (TFR) 1951 में प्रति महिला 6 बच्चों से घटकर 2001 में 3.1 और 2020 में 2.0 हो गई है, जो प्रतिस्थापन-स्तर की प्रजनन क्षमता की दिशा में देश की प्रगति को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, मातृ मृत्यु दर (MMR) 2001-03 में प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 301 मातृ मृत्यु से घटकर 2018-20 में 97 हो गई है, जो मातृ स्वास्थ्य में पर्याप्त प्रगति को दर्शाता है।

महिला स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रमुख सरकारी पहल

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)

एनएचएम का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में सम्मानजनक देखभाल सुनिश्चित करते हुए सुनिश्चित और उच्च गुणवत्ता वाली मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है। भारत सरकार (जीओआई) ने गर्भवती महिलाओं हेतु संस्थागत प्रसव की सुविधा के लिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग की स्थापना की है। इन विंग में शामिल हैं:

- प्रसूति उच्च निर्भरता इकाइयाँ (एचडीयू)
- गहन देखभाल इकाइयाँ (आईसीयू)
- मातृत्व ऑपरेशन थिएटर (ओटी)
- सम्मानजनक मातृत्व देखभाल सुनिश्चित करने के लिए प्रसव कक्ष

इसके अतिरिक्त, एनएचएम की पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई):** : मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती है।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके):** बाहर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं के लिए जेब से होने वाले खर्च को समाप्त करता है।
- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन):** सेवाओं से इनकार करने के लिए शून्य सहिष्णुता के साथ, बिना किसी लागत के सुनिश्चित, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है।
- **एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यक्रम:** लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से महिलाओं में एनीमिया को कम करने का लक्ष्य रखता है।

2. **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)**

- **पीएमएसएमए** हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क प्रसवपूर्व देखभाल और जांच प्रदान करता है।

- **पीएमएमवीवाई** गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बेहतर पोषण और देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

3. **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके)**

यह कार्यक्रम बच्चों में बीमारियों का शीघ्र पता लगाने और उपचार पर केंद्रित है, जिससे विशेष रूप से किशोरियों को लाभ मिलेगा।

4. **पोषण अभियान**

एक व्यापक पहल जिसका उद्देश्य बेहतर आहार प्रथाओं और जागरूकता अभियानों के माध्यम से महिलाओं, विशेष रूप से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण और एनीमिया से निपटना है।

5. **आयुष्मान भारत पहल**

- **आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम):** समुदायों के नज़दीक निवारक, प्रोत्साहनकारी और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करता है, जिसमें गर्भाशय-ग्रीवा और स्तन कैंसर की जाँच भी शामिल है।

- **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई):** माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जिससे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की महिलाओं को लाभ मिलता है।

6. **राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी)**

तपेदिक के लिंग-विशिष्ट प्रभाव को पहचानते हुए, एनटीईपी में महिलाओं, विशेष रूप से कमजोर समुदायों में, टीबी का शीघ्र पता लगाने और उपचार के लिए लक्षित सुधार शामिल हैं।

7. **मातृ एवं शिशु ट्रैकिंग सुविधा केंद्र (एमसीटीएफसी)**

एक समर्पित मंच जो गर्भवती महिलाओं, माता-पिता और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सीधे प्रासंगिक स्वास्थ्य जानकारी प्रदान करता है। यह विभिन्न मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर फीडबैक एकत्र करता है, जिससे निरंतर सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

समाधान और सिफ़ारिशें

1. महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा समाधान को बेहतर बनाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो जागरूकता, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, पोषण, वित्तीय सुरक्षा और सामुदायिक भागीदारी पर केंद्रित हो। कैंसर, तपेदिक और अन्य गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) जैसी बीमारियों के शीघ्र निदान की सुविधा के लिए जागरूकता और जांच कार्यक्रमों का विस्तार एक प्रमुख प्राथमिकता है। नियमित स्वास्थ्य जांच को मजबूत करना और जांच सेवाओं तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना स्वास्थ्य परिणामों में उल्लेखनीय सुधार लाएगा और मृत्यु दर को कम करेगा।

2. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को पर्याप्त कर्मचारियों, चिकित्सा आपूर्ति और नैदानिक उपकरणों से लैस करना महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में। जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ेगी, जिससे निदान और उपचार में होने वाली देरी में कमी आएगी ।

3. समुदाय-आधारित स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना बीमारियों से लड़ने में एक और ज़रूरी घटक है। प्रजनन स्वास्थ्य, एनसीडी और संक्रामक रोगों पर केंद्रित पहल जागरूकता बढ़ा सकती है और सक्रिय स्वास्थ्य-प्राप्ति व्यवहार को प्रोत्साहित कर सकती है। महिलाओं को बीमारी की रोकथाम, मातृ देखभाल और परिवार नियोजन के बारे में शिक्षित करने से महिलाओं और उनके परिवार, दोनों का स्वास्थ्य बेहतर होगा।

4. एनीमिया और कुपोषण जैसी प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने के लिए पोषण कार्यक्रमों में सुधार

करना ज़रूरी है। पोषण अभियान जैसी पहलों के तहत आयरन सप्लीमेंटेशन कार्यक्रमों और पोषण सुधारों का विस्तार करने से मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिलेगी। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों और पोषण शिक्षा के माध्यम से पर्याप्त आहार सेवन सुनिश्चित करने से महिलाओं की सेहत को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

5. मजबूत स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को चिकित्सा उपचार के लिए आर्थिक बाधाओं का सामना न करना पड़े। आयुष्मान भारत और जननी सुरक्षा योजना जैसी योजनाओं के तहत कवरेज का विस्तार महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा खर्चों के वित्तीय बोझ से बचाएगा, खासकर मातृ और गंभीर स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के लिए।

पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की भागीदारी जमीनी स्तर पर महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी पहल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पीआरआई समुदायों को संगठित करने, जागरूकता बढ़ाने और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्राम स्वास्थ्य समितियाँ और स्वयं सहायता समूह समुदाय के नेतृत्व में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिससे बीमारी की रोकथाम, मातृ देखभाल और पोषण कार्यक्रमों को बढ़ावा मिल सकता है।

पीआरआई मातृ स्वास्थ्य, तपेदिक, कैंसर और पोषण पर जागरूकता अभियान चलाकर सामुदायिक संघटन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये प्रयास महिलाओं में ज्ञान बढ़ाने और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त, पीआरआई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) जैसी सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पात्र महिलाओं को आवश्यक वित्तीय और स्वास्थ्य सेवा लाभ मिले।

पीआरआई के नेतृत्व में निगरानी और जवाबदेही प्रणाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सेवा वितरण को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ग्राम स्वास्थ्य समितियां सेवा प्रदायगी में अंतराल की पहचान करने, समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य सेवा पहुंच में चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण महिलाओं की स्वास्थ्य पहलों का प्रभावपूर्ण सहयोग करने की उनकी क्षमता को बढ़ाता है।

पीआरआई स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सहयोग करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो संक्रमणों को रोकने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन, सैनिटरी उत्पादों तक पहुंच और स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं कि महिलाएं और किशोरियों अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखें और खराब स्वच्छता प्रथाओं से संबंधित संक्रमणों से बचें ।

निष्कर्ष

महिलाओं का भयंकर बीमारियों के प्रति संवेदनशील होना एक गंभीर चिंता का विषय है, जिसके लिए स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण को शामिल करते हुए बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जबकि वैश्विक और राष्ट्रीय नीतियों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से अधिक सामुदायिक भागीदारी महिलाओं के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार को गति दे सकती है। जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करना, स्वास्थ्य निवेश बढ़ाना और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करना भारत और उसके बाहर महिलाओं के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगी।

***

"महिलाओं को सशक्त बनाना, जीवन में बदलाव लाना" असम के बोको विकास खंड की लुकी ग्राम पंचायत की केस स्टडी

पबित्रा कलिता और हिमा रानी बैश,
राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, असम

असम के एक वास्तविक केस स्टडी में दिखाया गया है कि कैसे पंचायती राज संस्थाओं की सच्ची नेतृत्व क्षमता के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों ने दूर-दराज के गांवों की महिलाओं के जीवन को बदल कर उन्हें सशक्त बनाया है। असम के बोक़ो विकास खंड के साउथ वेस्ट लुकी ग्राम पंचायत ने 'महिला के लिए, महिला द्वारा' की सोच को अपनाते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत सभी महिला जॉब कार्डधारकों को जोड़कर महिलाओं के सम्मान का एक आदर्श उदाहरण स्थापित किया है। यहाँ हम पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके जीवन में सुधार के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों पर एक प्रेरणादायक केस स्टडी प्रस्तुत कर रहे हैं।

"लाल नदियों और नीले पहाड़ों की धरती" के नाम से प्रसिद्ध असम, भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों का द्वार है। इस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार, असम की कुल जनसंख्या 3,11,69,272 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 1,59,54,927 और महिलाओं की संख्या 1,52,14,345 है। इसमें पुरुषों की जनसंख्या 51.19% तथा महिलाओं की जनसंख्या 48.81% है। इस आंकड़े से यह स्पष्ट होता है कि असम में प्रति 1000 पुरुषों पर 954 महिलाएं हैं। इसके साथ ही, राज्य में पुरुषों की साक्षरता दर 78.81% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर केवल 67.55% है। औसतन साक्षरता दर 73.18% पाई गई है। यह अंतर दर्शाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं अब भी पुरुषों से पीछे हैं। पंचायती राज की दृष्टि से यह महिलाओं के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण माना गया है।

"महिला सशक्तिकरण" शब्द का तात्पर्य है — महिलाओं को शक्ति के केंद्र में स्थापित करना। चूंकि महिलाएं देश की कुल जनसंख्या का लगभग 50% हिस्सा

हैं, इसलिए यह अनिवार्य है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें समान भागीदारी प्राप्त हो। यह तथ्य अधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के छह दशक से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी महिलाएं समाज में वास्तविक सत्ता धारण करने से काफी पीछे हैं, विशेष रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया में। यदि हम इस पूरी प्रक्रिया का समालोचनात्मक रूप से विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि महिलाएं वास्तव में समाज का एक वंचित वर्ग हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि महिलाओं को सत्ता सौंपी जाए ताकि वे समाज के पुरुष वर्ग के बराबरी पर आ सकें। यह ध्यान देने योग्य है कि सशक्तिकरण एक निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें महिलाओं की शक्ति के केंद्रों में लगातार भागीदारी आवश्यक है।

नारी सशक्तिकरण से महिलाओं को समाज में अपनी पूर्ण पहचान, शक्ति, स्थान, प्रभुत्व और क्षमता को हर क्षेत्र में पहचाने जाने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही यह ज्ञान की प्राप्ति और संसाधनों तक बेहतर पहुँच का मार्ग भी प्रदान करता है। यह दोनों ही बातें इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वास्तविक सशक्तिकरण का आकलन निर्णय लेने के क्षेत्र में होता है। इससे महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में अधिक स्वायत्तता भी प्राप्त होती है। साथ ही, इसका मतलब महिलाओं को समान स्थिति देना भी है। यदि महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, तो इससे उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूकता मिलेगी। यह उनके जीवन स्तर में सुधार, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और समाज में अधिक परिचय प्राप्त करने के लिए एक मजबूत आधार होगा।

महिलाओं का सशक्तिकरण का अर्थ है उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, और आत्मसम्मान से पूर्ण बनाना, ताकि वे किसी भी कठिन परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना कर सकें तथा विकास की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभा सकें। पिछले कुछ वर्षों की सबसे सकारात्मक प्रगति यह रही है कि महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में बढ़-चढ़कर भाग लेने लगी हैं। असम में 50% से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएं हैं, जो जमीनी स्तर पर शासन को एक संवेदनशील और लैंगिक दृष्टिकोण के साथ सशक्त बना रही हैं।

असम के कामरूप जिले के बोकौ विकास खंड की हरी-भरी वादियों में एक शांत लेकिन प्रभावशाली क्रांति आकार ले रही है।कभी हाशिये पर रहने वाली महिलाएँ अब नेतृत्व की भूमिका में आगे बढ़ रही हैं। इस संदर्भ में, ब्लॉक विकास कार्यालय ने बोक़ो के ग्रामीण जनों के लिए विभिन्न विकास योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) उनकी ज़िंदगियों को बदलने में अत्यंत प्रभावी रहा है। इस योजना ने उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक सशक्तिकरण और कौशल विकास प्रदान किया है।

बोको विकास क्षेत्र में इस मौन क्रांति ने हरे-भरे सुंदर वातावरण की छाया में समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश दिया है। जो महिलाएँ पहले समाज की एक सीमित दायरे में बंद थीं, अब वे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की विभिन्न योजनाओं में स्वयं को रोजगार देकर आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक सशक्तिकरण और कौशल विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त कर रही हैं।

बाधाओं की दीवारें तोड़ते हुए, भविष्य गढ़ने का संकल्पत:

बोको विकास क्षेत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत 60% जॉब कार्डधारक महिलाएँ हैं। इस विकास क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 70वां साउथ ईस्ट लुकी गांव पंचायत के निवासी मुख्यत: जनजातीय समुदाय से हैं। पहले यहां की महिलाएं सामाजिक रूढ़ियों में बंधी हुई थीं और उनकी स्वतंत्रता बाधित थी। वे घर से बाहर निकलने से कतराती थीं और खुले मन से कहीं आने-जाने में हिचकिचाती थीं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के लागू होने के बाद से बोको विकास क्षेत्र की महिलाओं ने सभी सामाजिक व पारंपरिक बाधाओं को तोड़ते हुए रोज़गार की दिशा में सशक्त कदम बढ़ाए हैं। हाहिम और शामुका गांवों की महिलाएं, जो 70 दक्षिण-पूर्व

लुकी गाँव पंचायत के अंतर्गत आती हैं, विशेष रूप से आगे आईं और इस योजना के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हुईं। ये महिलाएं अपने भविष्य का निर्माण करने में सक्षम हुईं। इस योजना ने इन महिलाओं को सशक्त बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनकी सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के तहत जॉब कार्ड प्राप्त करने वाली महिलाएं अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो चुकी हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के लागू होने से पहले, हाहीम और शामुका गांवों की महिलाओं का जीवन मुख्यतः घरेलू कार्यों तक ही सीमित था। वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक सुविधाओं से वंचित थीं। लेकिन जब से मनरेगा योजना लागू हुई, इन गांवों की महिलाओं को ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि तथा जल संरक्षण जैसे विभिन्न कार्यों में भागीदारी का अवसर मिला।

वर्ष 2014-15 में 3, 2015-16 में 4, 2016-17 में 7, 2019-20 में 7 और 2020-21 में 11 जॉब कार्डधारी लाभार्थियों ने मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत नींबू बागवानी, फल बागवानी और तालाब निर्माण जैसी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया है। इन योजनाओं ने उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना दिया है। अब वे नींबू, विभिन्न प्रकार के फल और मछलियाँ आदि उत्पादन कर स्थानीय हाहीम बाज़ार की मांग को पूरा कर रहे हैं। इन दोनों गांवों में 70% महिलाएं जॉब कार्ड धारक हैं।

पिछले पाँच वर्षों में दोनों गांवों में क्रियान्वित विभिन्न योजनाएं:-

वित्तीय वर्ष	योजनाओं की संख्या	नियोजित महिलाओं की संख्या	औसत कार्य दिवस (%)
2019-20	1	140	85%
2021-22	5	450	75%
2023-24	2	135	80%
2024-25	5	181	60%

इस योजना के माध्यम से महिलाएं लगभग 75 प्रतिशत दिनों तक रोजगार प्राप्त कर वेतन लेकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रही हैं। जब से जॉब कार्ड धारकों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के तहत काम करना शुरू किया है, तब से महिलाओं ने वित्तीय स्थिरता और आत्म-सम्मान प्राप्त किया है।

परिणामस्वरूप, महिलाएँ अब अपने जीवन से जुड़े महत्त्वपूर्ण निर्णय स्वयं ले पाने में सक्षम हुई हैं, चाहे वह उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हों या परिवार की भलाई से। यहाँ तक कि अब महिलाएँ अपने बच्चों की शिक्षा की ज़िम्मेदारी उठाकर अपने परिवार को आर्थिक रूप से राहत भी प्रदान कर रही हैं। संक्षेप में कहा जाए तो इस आर्थिक स्वतंत्रता ने उन्हें समाज में प्रचलित रूढ़ियों को चुनौती देने और अपने अधिकारों की माँग करने का साहस दिया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत जॉब कार्ड प्राप्त करने वाली महिलाओं की सहभागिता ने समाज की सोच में एक सकारात्मक बदलाव लाया है, जहाँ अब महिलाओं को विकास की समान भागीदार के रूप में मान्यता मिलने लगी है। हाहिम और शामुका गाँवों की इन महिलाओं की सफलता न केवल आशा की किरण बनकर उभरी है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की अन्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणास्पद मिसाल भी बन गई है। उनकी यात्रा ने तमाम बाधाओं के बावजूद एक नया रास्ता प्रशस्त किया है और भविष्य में अन्य महिलाओं को उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करेगी।

आर्थिक आत्मनिर्भरता के माध्यम से सशक्तिकरण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत जब महिलाएँ काम करने लगीं, तो उन्होंने केवल आर्थिक स्थिरता ही प्राप्त नहीं की, बल्कि आत्मसम्मान की भी एक नई अनुभूति पाई। वे निर्णयकर्ता बन गईं, जो अपने परिवारों की भलाई में योगदान देने लगीं और अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश करने लगीं। जो आर्थिक स्वतंत्रता उन्होंने हासिल की, उसने उन्हें सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देने और अपने अधिकारों को मजबूती से स्वीकार करने का साहस दिया।

मुख्य उपलब्धियाँ:

1. महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि: लुकी ग्राम पंचायत

के हाहिम और शामुका गाँवों की बड़ी संख्या में महिलाओं ने मनरेगा योजनाओं में सक्रिय भागीदारी की है।

2. आर्थिक सशक्तिकरण: महिलाओं ने आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की है, जिससे वे न केवल अपने परिवार का सहारा बन पाई हैं, बल्कि अपने जीवन से जुड़े निर्णय भी स्वयं लेने में सक्षम हुई हैं।

3. सामाजिक परिवर्तन: मनरेगा में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाया है। अब महिलाओं को विकास की समान भागीदार के रूप में देखा जाने लगा है।

4. निर्णय लेने की प्रक्रिया: महिलाओं ने योजना निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाई है तथा उन्होंने अपनी पसंद के कार्यों का चयन स्वयं किया है।

5. जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाना: मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) की योजनाओं को ग्राम सभा में चर्चा कर स्वीकृत किया गया — यही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सच्ची भावना है।

***

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार - उत्कृष्ट स्थानीय महिला नेताओं का चयन

सुश्री चन्द्रानी साहा
परामर्शदाता, एमओपीआर
सुश्री पूजा शर्मा
परामर्शदाता, एमओपीआर

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत लोहना उत्तर, मधुबनी, बिहार में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार (विशेष श्रेणी) प्रदान किए।

यह सत्य है कि जब महिलाओं की छोटी-छोटी उपलब्धियों की भी सराहना की जाती है, तो वे अक्सर अत्यंत प्रेरित हो जाती हैं, खासकर उन सामाजिक भूमिकाओं में जहाँ पारंपरिक रूप से उन्हें मान्यता नहीं मिलती। किसी भी छोटे योगदान की प्रशंसा और सम्मान उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और अपनी क्षमताओं में विश्वास बनाए रखने में अत्यंत प्रभावशाली होता है। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है जहाँ महिलाएँ ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व या कम मूल्यांकन की स्थिति में रही हैं, जैसे कि पंचायती राज या सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में।

भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, अर्थात पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को सशक्त बनाता है। इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई निर्वाचन सीटों का आरक्षण, ग्रामीण शासन में उनकी भागीदारी को एक नई ऊँचाई तक ले गया है। भारत उन प्रमुख देशों में से एक है जहाँ स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक है। यहाँ 1.45 मिलियन (यानी 14 लाख से अधिक) महिलाएँ स्थानीय निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया को आकार दे रही हैं। निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (EWRs) स्थानीय शासन, सतत विकास और लैंगिक समानता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। हालाँकि, पूरे देश में उनके योगदान को स्थानीय शासन में अभी भी वह महत्व नहीं मिल पाया है जिसके वे हकदार हैं।

पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ:

इस तथ्य के बावजूद कि अधिक महिला प्रतिनिधि स्थानीय निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, ईडब्ल्यूआर को इसमें शामिल होने और स्थानीय शासन में हिस्सा लेने और

अपनी भागीदारी बनाए रखने में ईडब्ल्यूआर (महिला निर्वाचित प्रतिनिधि) को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से जो प्रमुख चुनौतियाँ ईडब्ल्यूआर अपने दायित्व निभाते समय झेलती हैं, वे इस प्रकार हैं:

i. शिक्षा का स्तर जिसमें प्रत्यक्ष है शासन के कामकाज में उनके प्रदर्शन पर प्रभाव और इसलिए निर्भरता शासन गतिविधियों में अंतर को पाटने के लिए रिश्तेदारों पर ध्यान दिया जाता है|

ii. घरेलू कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता, महिलाओं की पंचायत संबंधी गतिविधियों में सहभागिता और कार्यक्षमता को प्रभावित करती है।

iii. अर्थाभाव के कारण जेंडर-समावेशी विकास की दिशा में जमीनी स्तर पर पंचायती संस्थाओं के कार्य में आ रही बाधाएँ।

iv. महिला प्रतिनिधियों के प्रति गहरी जमी हुई पूर्वाग्रह की वजह से महिलाओं के बीच अनुभव साझा करने में बाधा आती है और परिवार के पुरुष सदस्यों का हस्तक्षेप भी इसमें बाधक बनता है।

v. लिंग आधारित भेदभाव का सामना करना और पंचायत में उपेक्षित महसूस करना। प्रशासनिक भूमिकाएँ, जैसे पंचायत सचिव और अन्य पद, पुरुषों द्वारा अधिक नियंत्रित होती हैं।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार

पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पंचायतों/ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (UTs) को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के माध्यम से प्रोत्साहित कर रहा है। यह पुरस्कार 'पंचायतों के प्रोत्साहन' योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं, जो पुनःसंरचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) की एक केंद्रीय घटक योजना है। ये पुरस्कार पंचायत राज संस्थाओं के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में प्रदर्शन के आकलन पर आधारित होते हैं, जिसमें 9 चिन्हित स्थानीयकृत SDG विषय शामिल हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की प्रतियोगिता एक पदानुक्रमात्मक और बहु-स्तरीय प्रक्रिया है, जिसमें ब्लॉक, जिला, राज्य/संघ शासित क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के अनुसार पंचायतों को चयनित किया जाता है। प्रत्येक स्तर पर चयनित ग्राम पंचायतों को अगले उच्च स्तर के लिए नामांकित किया जाता है। इन पुरस्कार विजेता पंचायतों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान भी किया गया है। पंचायती राज की भावना के अनुरूप, पुरस्कार विजेताओं के लिए 50 लाख रुपये से लेकर ग्राम पंचायतों हेतु और 5 करोड़ रुपये तक जिला पंचायतों हेतु पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायतों और संस्थानों के लिए विशेष पुरस्कारों की भी व्यवस्था की गई है। यह पुरस्कार राशि सीधे संबंधित पुरस्कार विजेता पंचायतों के PFMS से जुड़े खातों में स्थानांतरित की जाती है।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पंचायतो के प्रोत्साहन का एक प्रमुख आधार हैं, विशेषकर महिलाओं द्वारा संचालित पंचायतों के लिए। ये पुरस्कार पंचायतों के विकास में निम्नलिखित प्रकार से सहायक होते हैं:

- **अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा और उत्साह का स्रोत**

  राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार केवल व्यक्तिगत प्रयासों को ही नहीं बल्कि अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनते हैं। जब एक महिला को सम्मान मिलता है, तो यह एक तरंग जैसी प्रभाव पैदा करता है जो अन्य महिलाओं को भी अपने-अपने समुदायों में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन महिलाओं की परिवर्तनकर्ता के रूप में दृश्यता कई अन्य महिलाओं को पारंपरिक बाधाओं को तोड़ने और राजनीतिक तथा सामाजिक नेतृत्व की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा, ऐसे पुरस्कार इस विश्वास को मजबूत करते हैं कि महिलाओं का सार्वजनिक क्षेत्र में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे समाज में यह धारणा बदलती है कि महिलाएं राष्ट्र निर्माण में बराबर की साझेदार हैं।

- **सुशासन और समुदाय विकास को बढ़ावा देना**

  पुरस्कार अक्सर उन पंचायतों को प्रदान किए जाते हैं, जिन्होंने शासन, सामाजिक विकास और जनसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। इन विजेता पंचायतों में कई का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऐसी पंचायतें प्रायः स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और गरीबी उन्मूलन जैसे स्थानीय मुद्दों पर विशेष ध्यान देती हैं। जब नेतृत्व की बागडोर महिलाओं के हाथों में होती है, तो वे परिवारों, बच्चों और वंचित वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देती हैं। इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे समुदाय के सर्वांगीण विकास पर पड़ता है।

- **क्षमता संसाधनों का निर्माण और पहुंच**

  वे महिला पंचायती प्रतिनिधि जिन्हें राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संसाधनों, और सरकावे प्रायः विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संसाधनों तथा सरकारी योजनाओं तक पहुँच प्राप्त करती हैं, जिन्हें विशेष रूप से उनके नेतृत्व कौशल को और

विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ऐसे कार्यक्रम महिलाओं को अपने पंचायतों का बेहतर प्रबंधन करने, जन सेवाओं में सुधार लाने तथा विकास परियोजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने में सक्षम बनाते हैं। जब उनके पास बेहतर कौशल और ज्ञान होता है, तो वे अपनी समुदाय की आवश्यकताओं को अधिक संवेदनशीलता और दक्षता के साथ समझने और पूरा करने में समर्थ होती हैं।

- **संपर्क और प्रभाव के लिए एक सशक्त मंच का निर्माण**

राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने का एक सबसे प्रभावशाली पहलू यह है कि यह नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करता है। पुरस्कार विजेता लोगों को प्रभावशाली व्यक्तियों के व्यापक दायरे तक पहुंच मिलती है, जिनमें नीति निर्माता, विकास विशेषज्ञ और विभिन्न क्षेत्रों के नेता शामिल होते हैं। ये संबंध महिलाओं के लिए नीति निर्णयों को प्रभावित करने, अधिक समावेशी विकास कार्यक्रमों की वकालत करने, और बड़े पहलों पर सहयोग करने के द्वार खोलते हैं। कई बार हमने देखा है कि सफल ग्रामीण कार्यक्रमों की अगुवाई करने वाली महिलाएं राष्ट्रीय नीति चर्चाओं में अपने अनुभव साझा करने या सरकारी पहलों पर सलाह देने के लिए आमंत्रित होती हैं। इससे उनकी आवाज़ और भी ऊंची होती है, जो उन्हें सीधे उन नीतियों को आकार देने में योगदान देने का अवसर देती है, जो लाखों लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के जीवन को प्रभावित करती हैं।

- **राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता देना**

राष्ट्रीय पुरस्कार प्रायः जमीनी स्तर पर महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। स्थानीय स्तर पर किसी महिला नेतृत्वकर्ता के कार्य को मिला यह सम्मान ग्रामीण महिलाओं के समक्ष मौजूद शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और वित्तीय समावेशन जैसी ज्वलंत समस्याओं को उजागर करता है। इन मुद्दों को समाज के समक्ष लाकर यह पुरस्कार न केवल उनकी जरूरतों को प्रमुखता देते हैं, बल्कि वंचित महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में नीति-निर्माताओं और प्रशासन का ध्यान भी केंद्रित करते हैं। इस प्रकार, यह पुरस्कार नारी सशक्तिकरण की पंचायती राज दृष्टि को सजीव, प्रेरणादायी और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह पुरस्कार प्राप्त होने के साथ-साथ मिलने वाली मीडिया कवरेज यह सुनिश्चित करती है कि इन मुद्दों की जानकारी व्यापक जनसमूह तक पहुँचाया जाए, ।

यह जागरूकता और ध्यान बढ़ने से अन्य समुदायों, संगठनों और यहां तक कि सरकारों को भी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इससे बेहतर नीतियों और आधार स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण में अधिक निवेश होने की संभावना बढ़ती है।

भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 11 दिसंबर 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 45 उत्कृष्ट पंचायतों एवं संस्थानों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए।

- **दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करना**

एक महिला सरपंच, जिन्होंने अपने नेतृत्व कौशल से पहचान बनाई, प्रगति की प्रतीक बन गई हैं। उन्होंने अन्य महिलाओं को भी अपने पदचिह्नों पर चलने के लिए प्रेरित किया है। जैसे-जैसे अधिक महिलाएं नेतृत्व की भूमिका निभाने लगती हैं, वैसे-वैसे समाज में महिला नेतृत्व के सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं — चाहे वह स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो, शिक्षा का स्तर हो या सामाजिक कल्याण की योजनाएं हों।

दीर्घकालिक रूप में, जमीनी स्तर की महिला नेताओं की पहचान एक अधिक समावेशी समाज के निर्माण में सहायक होती है, जहाँ महिलाओं की आवाज़ें सुनी जाती हैं और उनके योगदान को महत्व दिया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक टिकाऊ विकास को भी संभव बनाती है, जहाँ महिलाएं प्रायः समुदाय की रीढ़ होती हैं।

महिला नेतृत्व वाली राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कृत संस्थाएँ:

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार (एनपीए) प्रतियोगिता में महिला सरपंचों की भागीदारी अत्यंत प्रेरणादायक रही है। इन पुरस्कारों

को जीतने के प्रति उन्होंने विशेष उत्साह और समर्पण दिखाया है। (एनपीए)-2023 के अंतर्गत कुल 18 महिला-नेतृत्व वाली पंचायतों को सम्मानित किया गया, जबकि एनपीए-2024 में 17 पंचायतों को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये पुरस्कार विजेता महिलाएं सरपंच रणनीतिक रूप से पुरस्कार राशि की योजना बनाकर उसका उपयोग स्थानीय विकास में प्रभावी रूप से कर रहे हैं। ग्राम पंचायत कान्हा इस पहल के प्रभाव को अधिकतम करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है।

केस स्टडी – ग्राम पंचायत कन्हा (तेलंगाना)

ग्रामीण पंचायत कन्हा ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के अंतर्गत कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार (CNVPP) में दूसरा पुरस्कार जीता है। कन्हा ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती सरिता चल्लागुल्ला एक शिक्षित और सक्षम महिला हैं। वे पहली बार सरपंच चुनी गईं और 2019 से 2024 तक पंचायत सेवा में रही हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद से कंप्यूटर साइंस में बी.टेक किया है तथा यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी, लेक्सिंगटन (अमेरिका) से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की है।

वह (यूएसए) हार्टफुलनेस मेडिटेशन की अभ्यासक हैं और पिछले 20 वर्षों से इस ध्यान विधि का पालन कर रही हैं। उन्होंने ग्राम सभा की भागीदारी से पुरस्कार राशि की प्रभावी योजना बनाई और 75 लाख रुपए की पुरस्कार राशि को तीन पर्यावरणीय परियोजनाओं में निवेश किया ताकि स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने सहज मार्ग आध्यात्मिकता फाउंडेशन के सहयोग से एक बायोगैस संयंत्र (15,64,144 रुपये) स्थापित किया है, जो जैविक कचरे का प्रबंधन करता है और समुदाय के उपयोग के लिए ईंधन तैयार करता है। इसके साथ ही, उन्होंने सौर पैनल (54,02,182 रुपये) भी लगाए हैं, जिससे पर्यावरण के अनुकूल विद्त आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। अतिरिक्त रूप से, 5,33,674 रुपये की राशि भू-टैगिंग उपकरणों की खरीद में खर्च की गई है, जिनसे पेड़ों और जैव विविधता प्रजातियों के स्थान को टैग और ट्रैक किया जा सकता है, जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। ये सभी परियोजनाएँ कन्हा ग्राम पंचायत के 3000 निवासियों को लाभ पहुँचा रही हैं और दीर्घकालिक पर्यावरणीय लक्ष्यों की दिशा में योगदान दे रही हैं।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार भारत में जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये पुरस्कार न केवल महिला नेताओं को पहचान और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें चुनौतियों से उबरने और अपने नेतृत्व कौशल को विकसित करने के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराते हैं। स्थानीय स्तर पर महिलाओं की उपलब्धियों को उजागर कर ये पुरस्कार आने वाली पीढ़ियों की महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका निभाने और अपने समुदायों के सामाजिक व आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। जमीनी स्तर पर महिलाओं का सशक्तिकरण केवल व्यक्तिगत स्तर पर लाभकारी नहीं होता, बल्कि इसका व्यापक प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। यह एक समावेशी, समानतापूर्ण और प्रगतिशील भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

***

सशक्त महिलाएं, सशक्त समुदाय : जल जीवन मिशन की श्रेष्ठ प्रथाएं

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन
पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ अब केवल लाभार्थी नहीं रहीं, बल्कि जल प्रबंधन की दिशा में परिवर्तन की अग्रदूत बनकर उभरी हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत नेतृत्व की ये प्रेरक कहानियाँ दर्शाती हैं कि किस प्रकार महिलाएँ अपने समुदायों को जल-सुरक्षा की दिशा में सशक्त बना रही हैं और साथ ही सामाजिक व लैंगिक बाधाओं को तोड़ रही हैं।

1. श्रीमती शालू दिलीप रामटेके: 'पानीदार सरपंच' – भुज टुकुम की नायिका'

ग्राम: भुज टुकुम, जिला: चंद्रपुर, राज्य: महाराष्ट्र

वर्षों से, भुज टुकुम गाँव अनियमित जल आपूर्ति से जूझ रहा था, जिससे महिलाओं को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। यह स्थिति न केवल उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही थी, बल्कि उनकी आजीविका पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थी। इन कठिनाइयों को खुद देखकर, श्रीमती शालू दिलीप रामटेके ने, सरपंच और वीडब्ल्यूएससी की अध्यक्ष बनने के बाद, हालात बदलने का दृढ़ संकल्प लिया।

पानी की समस्या को जड़ से सुलझाने का संकल्प लेकर, उसने सरकारी योजनाओं का गहन अध्ययन किया, अभियंताओं के साथ मिलकर कार्य किया, और अपने गाँव का नेतृत्व करते हुए जल जीवन मिशन (JJM) के अंतर्गत एक स्थायी जलापूर्ति प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू कराया।

श्रीमती रामटेके ने ग्रामवासियों और विशेष रूप से महिलाओं के साथ बैठकों का आयोजन किया, उनका विश्वास जीता और ब्रम्हपुरी के उपमंडल अभियंता से विस्तृत ग्राम कार्ययोजना तैयार करवाई। वर्ष 2022-23 में जलापूर्ति योजना पर कार्य आरंभ हुआ और यह एक वर्ष के भीतर ही पूर्ण हो गया। इस परियोजना के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा—गांव के कुछ लोग अपने घरों के सामने पाइपलाइन बिछाने का विरोध कर रहे थे और FHTCs (घर-घर नल कनेक्शन) लेने में भी झिझक रहे थे। लेकिन श्रीमती रामटेके ने धैर्यपूर्वक संवाद कायम किया, उनकी आशंकाओं को समझा, समाधान प्रस्तुत किए और उन्हें इस जनहितकारी योजना का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया।

वह कुओं की खुदाई और पाइपलाइन बिछाने के कार्यों के दौरान लगातार उपस्थित रहीं। ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग और ठेकेदारों के साथ मिलकर उन्होंने हर समस्या का समाधान खोजा। उनके अथक प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि भुज टुकुम के हर घर में नल के माध्यम से स्वच्छ और पर्याप्त जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकी।

उसकी सतत नेतृत्व क्षमता ने यह सुनिश्चित किया कि परियोजना समय पर पूरी हो और हर घर तक नल का जल पहुंचे। उसके अडिग समर्पण को देखते हुए गाँव वाले उसे स्नेहपूर्वक 'पानीदार सरपंच' कहकर बुलाते हैं – वह नेतृत्वकर्ता जिसने जल संकट को सशक्तिकरण और

जल संरक्षण और सततता पर जागरूकता सत्र के दौरान छात्रों को संबोधित करते समुदाय नेता
स्रोत: पीएचईडी, महाराष्ट्र

परिवर्तन की प्रेरणादायक कहानी में बदल दिया।

2. श्रीमती मोहिनी देवी: जल सुरक्षा की दिशा में गालोदिया का नेतृत्व

ग्राम: गालोदिया, जिला: भीलवाड़ा, राज्य: राजस्थान

गालोदिया — भीलवाड़ा ज़िले का एक छोटा-सा गाँव, जो सहाड़ा पंचायत समिति मुख्यालय से मात्र 7 किलोमीटर

और ज़िला मुख्यालय से 44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है — जो कभी भीषण जल संकट से जूझता था। कभी इस गाँव की महिलाएं भोर की पहली किरण के साथ ही उठ जाया करती थीं और दूर-दराज़ के कुओं से पानी लाने के लिए लंबी-लंबी दूरी तय करती थीं। समय के साथ ये कुएं सूखने लगे और गाँव वाले बोरवेल पर निर्भर हो गए। लेकिन जब भूमिगत जल स्तर गिरा, तो बोरवेल का पानी भी खारा हो गया, जिससे संकट और भी गहरा गया।

इस जल संकट ने गाँव वासियों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। जल की कमी के कारण महिलाओं में अक्सर झगड़े होने लगे, बच्चों की पढ़ाई और स्कूल जाना बाधित होने लगा, और गर्मियों के महीनों में प्यासे मवेशी पानी की तलाश में भटकते रहते थे। इन कठिन परिस्थितियों के बीच, जल जीवन मिशन की शुरुआत गाँव वालों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई।

मार्च 2021 में जल जीवन मिशन की शुरुआत गाँव में की गई। इस पहल की कमान गाँव की सरपंच और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) की अध्यक्ष श्रीमती मोहिनी देवी को सौंपी गई। उनके लिए, यह सिर्फ़ एक सरकारी योजना नहीं थी बल्कि गाँव के भविष्य को बदलने का एक आंदोलन था।

श्रीमती मोहिनी देवी ने गांव के लोगों के साथ मिलकर सबसे पहले गांव का मानचित्रण किया और प्रत्येक घर की स्थिति का आकलन किया। उन्होंने यह संकल्प लिया कि न केवल हर घर तक पाइप से जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, बल्कि गांव की आवश्यक सामुदायिक संस्थाओं तक भी यह सुविधा पहुंचेगी। "जैसे पंचायती भवन, स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्र। जागरूकता अभियानों के माध्यम से उन्होंने यह समझाया कि जल जीवन मिशन केवल जल संकट को समाप्त करने का कार्य नहीं है, बल्कि यह गाँव के लिए एक उज्जवल और टिकाऊ भविष्य का निर्माण करने का अभियान है।"

गांव की युवा पीढ़ी और महिलाओं ने इस पहल में सक्रिय भागीदारी निभाई। श्रीमती मोहिनी देवी के नेतृत्व में प्रत्येक घर से सहयोग राशि एकत्र की गई और उसे ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) के खाते में जमा कराया गया। जल गुणवत्ता की निगरानी और पाइप से जल आपूर्ति की समुचित देखरेख सुनिश्चित करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित की गईं।

3. श्रीमती प्रिया कुमारी: फ्लोराइड प्रभावित गांवों में सुरक्षित पेयजल की सुनिश्चितता

ग्राम पंचायत: सोनो, जिला: जमुई, राज्य: बिहार

जमुई जिले की एक ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 12 में फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती थी। यहाँ के भूमिगत जल में अत्यधिक फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती थी, जो लंबे समय तक सेवन करने पर हड्डियों और दाँतों से संबंधित गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती थी। इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु, जलापूर्ति योजना के अंतर्गत एक फ्लोराइड उपचार संयंत्र की स्थापना की गई। इस संयंत्र के नियमित संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी प्रिया कुमारी ने संभाली, जो एक प्रशिक्षित पंप ऑपरेटर और जल गुणवत्ता पर्यवेक्षक हैं।

प्रिय कुमारी ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल पहल की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने गांव के फ्लोराइड उपचार संयंत्र (प्लांट) की कमान संभालते हुए यह सुनिश्चित किया कि हर घर तक शुद्ध और

सुरक्षित पेयजल पहुंचे।वह प्रत्येक परिवार तक यह सेवा पहुँचाने का कार्य करती हैं। पंचायत जल परीक्षण केंद्र की प्रभारी के रूप में, वे हर महीने जल की गुणवत्ता की जाँच करती हैं और उसकी रिपोर्ट जल जीवन मिशन (JJM) पोर्टल पर अपलोड करती हैं। ये रिपोर्ट संबंधित पंप ऑपरेटरों के साथ भी साझा की जाती हैं।

196 घरों में प्रतिदिन तीन बार जल आपूर्ति सुनिश्चित करना (सुबह 6–9 बजे, दोपहर 1–2 बजे और शाम 4–6 बजे) कोई आसान कार्य नहीं है। प्रिया बिजली कटौती, मोटर खराबी और पाइप लीकेज जैसी तकनीकी चुनौतियों का तुरंत समाधान करती हैं और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं।

गाँव में व्यापारी, किसान और मज़दूर रहते हैं, जिनमें से कई लोग सुबह-सवेरे ही अपने काम पर निकल जाते हैं। समय पर जल वितरण ने उनके दैनिक जीवन में कार्यकुशलता और स्थिरता ला दी है।

आपूर्ति संचालन से आगे बढ़कर, प्रिया 'जल चौपाल' के माध्यम से समुदाय को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करती हैं। उनका यह सफर दर्शाता है कि जल प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी कैसे सामुदायिक लचीलेपन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को मज़बूत बनाती है।

श्रीमती प्रिया कुमारी द्वारा अपने गांव की महिलाओं को शिक्षित एवं सशक्त बनाने की दिशा में अग्रणी भूमिका

स्रोत: पीएचईडी, बिहार

4. इच्छापुर की महिलाएँ: एक आत्मनिर्भर जल प्रबंधन मॉडल

ग्राम: इच्छापुर, जिला: बुरहानपुर, राज्य: मध्य प्रदेश

बुरहानपुर जिले के इच्छापुर गांव में महिलाओं ने एक अनोखी पहल की है। यहां की महिलाओं ने लगभग 1,500 घरों में नल कनेक्शन लगवाकर लाखों लीटर पीने के पानी की बर्बादी को रोका है। जल आपूर्ति प्रणाली का संचालन और प्रबंधन अब यही महिलाएं खुद कर रही हैं। वे प्रत्येक माह घर-घर से लगभग ₹1.5 लाख जल शुल्क के रूप में एकत्र करती हैं। इस राशि से गांव में जल जीवन मिशन परियोजना का संपूर्ण संचालन और रख-रखाव किया जा रहा है, जिससे यह गांव आत्मनिर्भरता का एक आदर्श उदाहरण बन गया है। इच्छापुर जल समिति को अपनी इस उपलब्धि पर गर्व है, और उनकी आत्मनिर्भरता का आत्मविश्वास उनके चेहरे पर साफ झलकता है।

इच्छापुर, बुरहानपुर जिले का सबसे बड़ा गांव है। यहां पहले से एक जलापूर्ति योजना तो थी, लेकिन वह न तो पर्याप्त थी और न ही नियमित। अक्सर मामूली तकनीकी समस्याओं के कारण महीनों तक जल आपूर्ति बाधित रहती थी। गर्मियों में जल संकट एक वार्षिक आपदा बन जाता था, जिससे महिलाओं को दूर-दराज के स्रोतों से सिर पर पानी ढोने के लिए मजबूर होना पड़ता था।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत, एक रेट्रोफिट जल आपूर्ति योजना को क्रियान्वित किया गया, जिसके माध्यम से लगभग 2,000 घरों को नल से जल कनेक्शन प्रदान किए गए।

प्रारंभ में, स्थानीय समुदाय के सदस्य और जल समिति के प्रतिनिधि इस परियोजना के संचालन और रखरखाव के तरीकों से अनभिज्ञ थे। इस चुनौती का समाधान निकालने के लिए, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत क्रियाशील केआरसी विभावरी के सहयोग से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल समिति के सदस्यों और ग्राम प्रतिनिधियों के लिए एक तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान, महिला प्रतिभागियों ने रक्षा सूत्र (सुरक्षात्मक धागे) बांधकर शपथ ली, गाँव की जल आपूर्ति प्रणाली का प्रबंधन और रखरखाव स्वयं करने का संकल्प लिया गया। इस प्रेरणादायी आयोजन में सरपंच श्रीमती

नंदा पाटिल की गरिमामयी उपस्थिति रही।

प्रशिक्षण के पश्चात, सरपंच श्रीमती नंदा पाटिल के नेतृत्व में समिति की सदस्यों — श्रीमती सुनीता पाटिल, कैलाश पाटीदार, श्रीमती मीनाक्षी पाटिल, सुधीर प्रजापति, श्रीमती शीतल पाटिल एवं श्रीमती ज्योति पाटिल — ने जनजागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी को उत्साहपूर्वक अपने हाथों में लिया।

VWSC के सदस्यों ने घर-घर जाकर ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया और उन्हें अपने घरों की जल कनेक्शन लाइनों पर नल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके सतत प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला– अधिकांश ग्रामीणों ने नल लगवाए, जिससे पानी की बर्बादी में उल्लेखनीय कमी आई। जो लोग नल लगवाने को तैयार नहीं थे, उनके पाइपलाइनों में लकड़ी के स्टॉपर लगाए गए ताकि अत्यधिक पानी का बहाव रोका जा सके। परिणामस्वरूप, अब पीने के पानी की बचत हो रही है।

इस पहल के साथ-साथ, महिलाओं ने अपने-अपने वार्डों में जल शुल्क एकत्र करने की ज़िम्मेदारी भी संभाली। यह कार्य सरल नहीं था। उन्हें बार-बार घर-घर जाकर न केवल जल आपूर्ति संचालन की लागत को समझाना पड़ा, बल्कि यह भी बताना पड़ा कि भुगतान न करने पर जल आपूर्ति सेवा बाधित हो सकती है।

सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए, इन महिलाओं ने सिद्ध कर दिया कि वित्तीय प्रबंधन केवल पुरुषों की जिम्मेदारी नहीं है। जिन परिवारों ने लगातार जल-शुल्क चुकाने से इनकार किया, उनकी सूची—164 बकायेदारों सहित—पंचायत को सौंपी गई, जिसके परिणामस्वरूप जल आपूर्ति काटने की औपचारिक चेतावनियाँ जारी की गईं।

पहल का प्रभाव

- इच्छापुर की जल योजना अब पूर्ण आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर है।
- पानी की बर्बादी में उल्लेखनीय कमी।
- महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम।
- महिलाओं ने वित्तीय प्रबंधन में नई मिसाल कायम की है।

आज समिति के सतत और अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप हर माह लगभग ₹1.5 लाख की राशि एकत्रित की जा रही है। इसमें से ₹1 लाख से अधिक की राशि पंप ऑपरेटरों के वेतन, बिजली बिलों और प्रणाली के रख-रखाव जैसे खर्चों को पूरा करने में उपयोग की जाती है।

इस प्रकार, जल जीवन मिशन के अंतर्गत इछापुर की नल जल परियोजना एक सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भरता का आदर्श मॉडल बन गई है। समिति की महिला सदस्यों के चेहरों पर आत्मनिर्भरता का गौरव झलकता है।

जीवन मिशन के अंतर्गत इच्छापुर में महिला नेतृत्व वाला विकास

स्रोत: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग(PHED) एवं जल निगम, मध्य प्रदेश

****

स्वच्छ भारत मिशन : ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व में स्वच्छता के उत्कृष्ट उदाहरण

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार

ग्रामीण भारत में सशक्त महिला नेताओं ने जमीनी स्तर पर नेतृत्व संभालते हुए स्वच्छता के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय दृढ़ता के साथ कार्य किया है। पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियाँ स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण के उद्देश्यों को धरातल पर उतारने में एक अहम भूमिका निभा रही हैं। यहाँ प्रस्तुत हैं कुछ प्रेरणादायक सफलताएँ—ऐसी महिला सरपंचों और ग्राम प्रधानों की कहानियाँ जिन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन लाकर अपने गाँवों को नई दिशा दी है।

शुशुम लता: ग्रामीण बिहार में बदलाव लाने वाली एक जमीनी नेता

दावा ग्राम पंचायत, प्रखंड-जगदीशपुर, जिला-भोजपुर (बिहार) की मुखिया श्रीमती शुशुम लता ने अपने नेतृत्व से गाँव की तस्वीर ही बदल दी है। स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो पहल की, उसने न केवल समस्याओं को अवसरों में बदला, बल्कि उनके गाँव को स्वच्छता, सतत विकास और आत्मनिर्भरता का एक आदर्श उदाहरण बना दिया है।।

जब श्रीमती लता ने पदभार संभाला, तब स्वच्छता एक गंभीर समस्या थी — गलियाँ कूड़े-कचरे से अटी पड़ी थीं और कचरा निस्तारण की व्यवस्था अत्यंत कमजोर थी। उनके नेतृत्व में दावा दिसंबर 2016 तक खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित हुआ, जहाँ हर घर में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण कराया गया। हालाँकि, उन्होंने माना कि केवल बुनियादी ढाँचा ही व्यवहार परिवर्तन के लिए पर्याप्त नहीं था और उचित कचरा प्रबंधन आवश्यक था।

उन्होंने एक ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन इकाई शुरू की, जिससे कचरे को स्थानीय किसानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जैविक खाद में बदला जा रहा है। पंचायत अब कचरा प्रबंधन से प्रति माह 15,000 रुपये कमाती है, जिससे स्वच्छता की समस्या राजस्व और पर्यावरणीय स्थिरता का स्रोत बन गई है।

एक महत्वपूर्ण परिवर्तन उस समय आया जब उन्होंने ऐतिहासिक दुनम्राव महाराज की अदालत के स्थान पर बने कचरे के ढेर को एक आधुनिक बाजार में बदलने का नेतृत्व किया। इस पहल ने न केवल स्वच्छता में सुधार हुआ बल्कि स्थानीय व्यवसायों को भी बढ़ावा मिला और आर्थिक अवसर पैदा हुए।

मुखिया बनने से पहले श्रीमती लता जीविका स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के साथ काम करती थीं। वहां उन्होंने अक्सर

महिलाओं को मासिक धर्म से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं पर चर्चा करते सुना। जब उन्होंने पदभार संभाला, तो यह स्पष्ट हुआ कि महिलाओं में फैली कई बीमारियों की जड़ अस्वच्छ मासिक धर्म प्रथाएं थीं।इस गंभीर समस्या को जड़ से खत्म करने का संकल्प लेते हुए उन्होंने —

- मुख्यमंत्री नव परिवर्तन योजना के अंतर्गत पंचायत द्वारा एक सैनेटरी नैपकिन निर्माण इकाई स्थापित की गई, जो 26-28 रुपये प्रति पैकेट की कीमत पर किफायती बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड का उत्पादन करती है।।
- जीविका स्वयं सहायता समूहों की 1,400 महिलाओं को मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता के लिए प्रशिक्षित और सशक्त बनाया।
- सेनेटरी पैड निर्माण इकाई की स्थापना की गई, जिससे महिलाओं को न केवल स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त हुए, बल्कि उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता का मार्ग भी मिला।

इस पहल ने न केवल मासिक धर्म स्वच्छता को बेहतर बनाया, बल्कि इससे जुड़ी सामाजिक भ्रांतियों और संकोच को भी कम किया, जिससे दावा महिलाओं के नेतृत्व वाली स्वास्थ्य पहलों के लिए एक आदर्श बन गया।

अपशिष्ट से सम्पत्ति पहल के संदर्भ में:

- कुल 1,820 किलोग्राम कम्पोस्ट का उत्पादन किया गया, जिसमें से 500 किलोग्राम की बिक्री कर लगभग ₹10,000 की आय प्राप्त हुई।
- लगभग 275 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा बेचा गया, जिससे जीपीआईसी निधि में ₹1,560 की राशि जुड़ी।
- सैनिटरी पैड उत्पादन इकाई ने अब तक 1,00,000 पैड बनाए हैं, जिनमें से 30,000 बेचे जा चुके हैं।

दावा जीपी घोषित किया गया 2 मई, 2023 को एक दावा ग्राम पंचायत को 2 मई 2023 को ओडीएफ प्लस मॉडल ग्राम पंचायत घोषित किया गया। तब से अब तक गाँव की 400 परिवारों द्वारा नियमित रूप से उपभोक्ता शुल्क अदा किया जा रहा है, जिससे ₹25,410 की राशि एकत्रित की जा चुकी है। ग्राम पंचायत ने तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। गाँव में कहीं भी पानी जमा नहीं होने दिया जाता और पूरे क्षेत्र में प्रभावी जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

केरल की कादिरुर पंचायत: प्लास्टिक और कैंसर के खिलाफ प्रेरक लड़ाई

हरिता कर्म सेना के सदस्य,
केरल स्रोत: स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, केरल

केरल के उत्तर मलाबार क्षेत्र में स्थित कदिरूर ग्राम पंचायत इस बात की मिसाल पेश कर रही है कि स्थानीय समुदाय कैसे सार्थक बदलाव ला सकते हैं। कदिरूर ने प्लास्टिक प्रदूषण की चुनौती को एक अवसर में बदलते हुए कैंसर रोगियों के सहायतार्थ एक प्रेरणादायक पहल शुरू की है। यह प्रयास दर्शाता है कि पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं किस प्रकार एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं।

इस पहल के केंद्र में है – मजबूत नेतृत्व, विशेषकर पंचायत की अग्रणी महिलाओं का। उनके समर्पण ने इस सामुदायिक प्रयास को आगे बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। लगभग 25,000 से 30,000 की जनसंख्या वाले कदिरूर पंचायत ने प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दिखाई है। यहां पर यह संदेश बड़े प्रभावशाली ढंग से फैलाया गया है कि "प्लास्टिक कैंसर का कारण बनता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है।" लेकिन कदिरूर पंचायत ने इस सोच को और एक कदम आगे ले जाकर कचरा प्रबंधन को सीधे तौर पर स्वास्थ्य परिणामों से जोड़ दिया है।

विश्व कैंसर दिवस पर पंचायत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से पंचायत ने 3.81 लाख रुपये जुटाए, जिन्हें समुदाय में कैंसर रोगियों की सहायता के लिए दान कर दिया गया। यह पहल "कदिरूर केयर" कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका नेतृत्व पंचायत की महिला प्रतिनिधियों ने किया है। ये महिलाएं इस योजना की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। इस प्रयास में 25 महिलाओं की एक समर्पित टीम—हरिता कर्म सेना (HKS)—महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये महिलाएं पंचायत के सभी 18 वार्डों में घर-घर और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से प्लास्टिक कचरा एकत्र करती हैं। एकत्रित कचरे को कुट्टयेरीचल स्थित प्रबंधन संयंत्र में ले जाया जाता है, जहां उसे छांटकर आगे पुनःप्रक्रिया के लिए भेजा जाता है।

कदिरूर में संसाधन पुनर्प्राप्ति केंद्र पर कचरा पृथक्करण में लगे हरिता कर्म सेना के सदस्य।

स्रोत: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), केरल

प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करते हुए पंचायत ने "क्लीन केरल कंपनी" को पुनः उपयोग न किए जा सकने वाले प्लास्टिक को सुपुर्द किया। इस प्लास्टिक को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर सड़क निर्माण में उपयोग किया गया, जिससे कचरे को लैंडफिल में पहुंचने से रोका गया और पर्यावरण की रक्षा हुई। इस प्रयास से जो आय प्राप्त हुई, उसे सीधे कैंसर रोगियों के उपचार में लगाया गया। केवल वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही पंचायत ने 18,826 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा क्लीन केरल कंपनी को सौंपा, जिससे ₹2.56 लाख की आय हुई। इसके अलावा सड़क बनाने में प्रयुक्त कटे हुए प्लास्टिक से ₹1.25 लाख की अतिरिक्त आमदनी हुई। इन दोनों मदों से प्राप्त कुल धनराशि को एकत्र कर कैंसर रोगियों की सहायता हेतु जिला पंचायत अध्यक्ष को सौंपा गया।

इस पहल ने जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। हरिता कर्मसेना की सदस्याएँ—जिनमें से अधिकांश स्थानीय समुदायों की महिलाएँ हैं—कचरा संग्रहण और प्रबंधन के कार्य के माध्यम से औसतन ₹20,000 प्रति माह की आय अर्जित कर रही हैं। इनका कार्य केवल प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करने तक सीमित नहीं है; वे चिकित्सा अपशिष्ट, ई-कचरा तथा अन्य गैर-अपघटनीय पदार्थों का भी संग्रहण और प्रबंधन करती हैं, जिससे एक समग्र और प्रभावी कचरा प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित होती है।

कादिरूर पंचायत ने घर-घर स्तर पर कचरा प्रबंधन को भी सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया है। लगभग हर घरमें जैविक कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था है। हजारों की संख्या में कम्पोस्ट इकाइयाँ वितरित की गई हैं—जिनमें पाइप कम्पोस्ट, रिंग कम्पोस्ट, बायोगैस यूनिट्स और वर्मी कम्पोस्टिंग सिस्टम शामिल हैं। समुदाय ने तकनीक का भी प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। "स्मार्ट गारबेज ऐप" के माध्यम से प्लास्टिक कचरा संग्रहण को व्यवस्थित रूप से ट्रैक और प्रबंधित किया जाता है।

इस पहल में महिलाओं की नेतृत्व भूमिका इसकी सफलता का एक निर्णायक तत्व रही है। पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करते हुए जनस्वास्थ्य को भी समर्थन देकर, कदिरूर पंचायत यह दर्शा रही है कि स्थानीय समुदाय — जब समर्पित नेतृत्व के साथ आगे बढ़ते हैं — तो वे सतत् परिवर्तन ला सकते हैं। यह मॉडल न केवल प्लास्टिक प्रदूषण से निपटता है, बल्कि समुदाय के कमजोर वर्गों को भी सहारा देता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जमीनी स्तर पर की गई पहल कितनी प्रभावशाली हो सकती है।

ओडिशा में स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ अग्रणी मार्ग: सुंदरगढ़ की अपशिष्ट क्रांति

ओडिशा के सुंदरगढ़ में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की महिलाएं एक क्रांतिकारी कचरा प्रबंधन पहल "आमा सुंदरगढ़, स्वच्छ सुंदरगढ़" की अगुवाई कर रही हैं। SHG की महिला नेताओं की प्रतिबद्धता और समर्पण से संचालित यह कार्यक्रम ठोस कचरा, विशेष रूप से प्लास्टिक के प्रबंधन में जमीनी स्तर की नेतृत्व क्षमता का एक आदर्श उदाहरण बन गया है। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा दे रहा है।

स्वच्छता साथी – स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी महिलाएं – कचरा प्रबंधन की प्रत्येक प्रक्रिया को कुशलता से संभालती हैं।वह घर-घर जाकर कचरा एकत्र करना हो, उसका पृथक्करण, परिवहन या प्रसंस्करण – हर चरण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होती है। ये महिलाएँ न केवल पर्यावरण संरक्षक हैं, बल्कि उद्यमी भी हैं। रीसाइक्लिंग से प्राप्त आय सीधे तौर पर उनकी आजीविका को सहारा देती है, जिससे एक आत्मनिर्भर प्रणाली का निर्माण होता है जो पूरे जिले में 550 से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाती है।

279 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए इस पहल ने 3.63 लाख से अधिक परिवारों और 5,000 से ज्यादा स्कूलों तक अपनी पहुंच बनाई है। इस प्रयास से न केवल कचरे में भारी कमी आई है, बल्कि स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और

स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाएं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में
सक्रिय स्रोत: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), ओडिशा

रेणु देवी कचरा संग्रहण के दौरान
स्रोत: एसबीएमजी झारखंड, सीईई

कार्बन उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय रूप से कटौती हुई है।

अपने नेतृत्व के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कचरा संकट को एक अवसर में बदल दिया है - उन्होंने न केवल पुनर्चक्रण को बढ़ावा दिया, व्यवहार परिवर्तन की पहल करके, साथ ही पुनर्चक्रण उद्योगों और अन्य संस्थाओं के साथ आगे के संबंध स्थापित करके। वे मशरूम और वर्मीकम्पोस्ट की खेती के लिएउत्पादित कृषि अपशिष्ट को कच्चे माल के रूप में पुन: उपयोग करने पर भी काम कर रही हैं।

"आमा सुंदरगढ़, स्वच्छ सुंदरगढ़" की सफलता इस बात का जीता-जागता प्रमाण है कि जब महिलाएं नेतृत्व की बागडोर संभालती हैं, तो बदलाव निश्चित होता है।कचरे को संसाधन में बदलकर और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करते हुए, इन स्व-सहायता समूहों (SHG) की महिलाओं ने न केवल सुंदरगढ़ को स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य की दिशा में अग्रसर किया है, बल्कि पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय मॉडल भी प्रस्तुत किया है|

झारखंड की रेणु देवी की यात्रा: महिला सशक्तिकरण और कचरा प्रबंधन की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल

रेणु देवी, 42 वर्ष की एक महिला, दो बच्चों की मां हैं, वे झारखंड के ओरमांझी प्रखंड के बारवे पंचायत के दाहू गाँव की रहने वाली हैं। वे अवसर और सशक्तिकरण की परिवर्तनकारी शक्ति की प्रतीक हैं। रांची स्थित मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) में शामिल होने से पहले, रेणु एक गृहिणी थीं और उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं था। हालाँकि, जुलाई 2024 से, वे रांची स्थित मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) में सफाई मित्र के रूप में काम कर रही हैं।

मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) में कदम रखा, तो उनके साथ छह अन्य सफाई मित्र महिलाओं को भी कचरा पृथक्करण और मशीन संचालन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद से रेनू हर दिन आठ घंटे समर्पित भाव से काम करती हैं और प्रतिदिन लगभग 90 किलोग्राम सूखा और प्लास्टिक कचरा छांटती हैं। नवंबर 2024 तक MRF के माध्यम से कुल 43 मीट्रिक टन सूखा और प्लास्टिक कचरा एकत्र किया जा चुका है, जिसमें से 11 मीट्रिक टन को पुनर्चक्रण और आगे की प्रक्रिया के लिए एग्रीगेटरों को भेजा गया है। MRF में अपने कार्य के साथ-साथ रेनू बारवे पंचायत में अपने समुदाय से भी सक्रिय रूप से जुड़ी रहती हैं। वह लोगों को कचरा पृथक्करण और जिम्मेदार अपशिष्ट निपटान की आवश्यकता के बारे में जागरूक करती हैं। इस सफर के दौरान रेनू ने खुद को सशक्त बनाया है—एक अनुसूचित जाति की साधारण महिला से एक आत्मविश्वासी और अपने कार्य के प्रति समर्पित महिला

"एमआरएफ पर रेनू देवी की सक्रिय भागीदारी
स्रोत: एसबीएमजी झारखंड, सीईई"

बनने तक का उनका यह बदलाव प्रेरणादायक है।

वह अपने पड़ोसियों को, जो पहले कचरा प्रबंधन के प्रति उदासीन थे, बेहतर तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। आज वही पड़ोसी उन्हें समुदाय में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली एक सशक्त नेता के रूप में पहचानते हैं।

****

कल्पना से हकीकत तक : कैसे ये पंचायतें बनीं महिला-हितैषी पंचायतों की मिसाल

पंचायती राज मंत्रालय

> **"राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के अंतर्गत "महिला अनुकूल पंचायत" श्रेणी में विजेता पंचायतों की श्रेष्ठ पहलें:"**

पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने 11 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार–2024 समारोह का आयोजन किया, जिसका सम्मानपूर्ण अवसर भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने भी बढ़ाया। इस समारोह में देशभर से कुल 45 पंचायतो को विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। दीन दयाल उपाध्याय पंचायती सतत विकास पुरस्कार के अंतर्गत 9 सतत विकास लक्ष्यों (LSDG) से जुड़े विषयों में पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें 'महिला मित्रवत पंचायत' की श्रेणी भी शामिल है। महिला मित्रवत पंचायत वह पंचायत होती है, जो महिलाओं को समान अवसर प्रदान करती है, जहाँ गर्भवती महिलाओं का 100% टीकाकरण होता है, 100% संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किए जाते हैं, महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ अपराध शून्य होते हैं, और जहाँ महिलाएं सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में 'महिला मित्रवत पंचायत' के अंतर्गत सम्मानित तीन ग्राम पंचायतें/ग्राम समितियाँ निम्नलिखित हैं:

प्रथम स्थान: दक्षिण मनुबांकुल ग्राम समिति

प्रखंड सलाहकार समिति: रुपैचारी
जिला परिषद: त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद
राज्य: त्रिपुरा

त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद, त्रिपुरा के अंतर्गत रूपैचारी ब्लॉक सलाहकार समिति की दक्षिण मनुबांकुल ग्राम समिति को उसकी महिला-मैत्री पंचायती राज पहल के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जहाँ इस ग्राम समिति की कुल जनसंख्या 1,900 है, जिनमें से 62% अनुसूचित जनजाति समुदायों से आते हैं, इस पंचायती की दृष्टि से महिलाओं को सशक्त बनाने और

सुरक्षित, समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। एक प्रमुख उपलब्धि "सश्रेष्ठ" ब्रांड की स्थापना है, जो स्वयं सहायता समूह (SHG) द्वारा निर्मित उत्पादों जैसे मसाले और चावल का विपणन करता है। इसने स्थानीय उत्पादों के लिए एक पहचान बनाई है और उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया है। पंचायत ने महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता के माध्यम से सशक्त बनाया है, खेती (सब्जी और धान की खेती, पशुपालन, पुष्प उत्पादन) और गैर-खेती क्षेत्रों (हस्तशिल्प, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण) में विभिन्न उद्यमों का समर्थन किया है। इसने 301 "लखपति दीदियों" को मान्यता दी है, जो वित्तीय स्थिरता प्राप्त कर चुकी हैं और समुदाय में दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। "एम्पावर हर" जैसी पहल युवा लड़कियों को मार्गदर्शन प्रदान करती है, उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास की दिशा में मार्गदर्शन करती है, जबकि "बालिका मंच" पर स्कूलों में बाल विवाह के शून्य मामलों और छात्राओं के स्कूल छोड़ने की घटनाओं को पूरी तरह समाप्त किया है

को दिखाया जाता है। पंचायत ने मासिक धर्म स्वच्छता को भी प्राथमिकता दी है, जिसके तहत स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटरी पैड विक्रय मशीनें और इन्सिनरेटर लगाए गए हैं, साथ ही नियमित जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। विशेष रूप से, पंचायत ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के शून्य मामलों को प्राप्त किया है, जो एक सुरक्षित और सहायक वातावरण का प्रतिबिंब है।।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पंचायती राज संस्थान ने महिला सभाओं और जेंडर रिसोर्स सेंटर की स्थापना की, जिससे महिलाओं को शासन और निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिला। महिलाओं को वित्तीय प्रबंधन में दक्ष बनाने हेतु वित्तीय साक्षरता शिविरों और ऋण सहायता शिविरों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य सखी, बैंक सखी, पशु सखी और मत्स्य सखी जैसी सामुदायिक सेवा प्रदाताओं ने महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।।

इसके अतिरिक्त, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग करते हुए सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगवाईं। स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाई। साथ ही, स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं में स्थानीय और राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने भी संसाधन उपलब्ध कराए। भविष्य की दिशा में पंचायत की योजना त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन, बालिका मंच और एम्पावर हर जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को संस्थागत रूप देकर इन्हें समुदाय के विकास में एकीकृत करने की है। इसके अंतर्गत वित्तीय साक्षरता और स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों को लगातार आयोजित किया जाएगा, ताकि महिलाओं की शासन और आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी को सामान्य और प्रोत्साहित किया जा सके। जिससे इसके परिवर्तनकारी प्रभाव को बनाए रखा जा सके।और आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी को सामान्यीकृत और प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे इसके परिवर्तनकारी प्रभाव को बनाए रखा जा सके।

द्वितीय स्थान : चिल्लापल्ली ग्राम पंचायत

ब्लॉक पंचायत : मंथनी
जिला पंचायत : पेद्दापल्ली
राज्य : तेलंगाना

चिल्लापल्ली ग्राम पंचायत, जो मंथनी ब्लॉक पंचायत, पेड्डापल्ली जिला, तेलंगाना में स्थित है, और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दूसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है-

(573 पुरुष और 508 महिलाएँ) वाले इस पंचायत ने लिंग समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस पंचायत में 64 महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs) सक्रिय हैं और महिलाओं के लिए चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास है। मुख्य उपलब्धियों में महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं का सफल कार्यान्वयन, ग्राम सभाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण शामिल है। सभी पात्र SHGs ने बैंक से ऋण भी प्राप्त किया है। पंचायत ने मातृ मृत्यु दर शून्य बनाए रखने में सफलता पाई है, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में महिला नामांकन का 100% अनुपात प्राप्त किया है, तथा इन शैक्षिक स्तरों पर बालिकाओं का कोई भी नामांकन छूटना नहीं हुआ है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फिर भी, पंचायत के सामने कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं जैसे पितृसत्तात्मक मानसिकता, सांस्कृतिक बाधाएं, घरेलू हिंसा, वित्तीय संसाधनों की सीमित पहुंच, और पंचायत नेतृत्व में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए पंचायत ने जागरूकता अभियानों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, नए स्व-सहायता समूह (SHG) स्थापित किए और महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा व आर्थिक अवसरों तक पहुँच सुनिश्चित कराई। पंचायत ने निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की और प्रगति की सतत निगरानी करते हुए मूल्यांकन भी किया।

प्रभाव, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के सन्दर्भ में पंचायती राज मंत्रालय का समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, खासकर महिलाओं के न्याय और समानता को बढ़ावा देने वाली महिला-हितैषी ग्राम पहल के माध्यम से। ग्राम पंचायत विकास योजना में गांव की कार्य योजनाओं तथा विभिन्न विभागों की प्रमुख योजनाओं को समन्वित किया गया है, जिससे व्यापक सामाजिक-आर्थिक सुधार सुनिश्चित हो सकें। आगे बढ़ते हुए, पंचायत का उद्देश्य महिलाओं के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संस्थागत बनाना, लिंग-संवेदनशील बजट को अपनाना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और नीतियों तथा निर्णयों में लिंग समानता को मुख्यधारा में लाना है। इसके साथ ही पंचायत महिलाओं की निर्णय-निर्धारण प्रक्रियाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाने, लिंग-संवेदनशील बजट आवंटन सुधारने, और महिला नेतृत्व वाली पहलों तथा उद्यमों का समर्थन करने की योजना बना रही है। एक समावेशी वातावरण बनाकर और प्रणालीगत बाधाओं को दूर करते हुए, चिल्लापल्ली ग्राम पंचायत सतत रूप से एसडीजी 5 (लिंग समानता) को प्राप्त करने के प्रति प्रतिबद्ध है, जिससे समुदाय में महिलाओं और लड़कियों के लिए दीर्घकालिक सशक्तिकरण और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

तीसरा स्थान: वरगनूर ग्राम पंचायत

प्रखंड पंचायत: कुरुविकुलम
जिला पंचायत: तेनकासी
राज्य: तमिलनाडु

तमिलनाडु के तेनकासी जिले के कुरुविकुलम ब्लॉक पंचायत में स्थित वरगनूर ग्राम पंचायत को महिला-हितैषी पंचायत पहल के लिए तीसरा पुरस्कार मिला है। यह पंचायत पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है और 2,712 की आबादी की सेवा करती है, जिसमें 1,296 पुरुष एवं 1,416 महिलाएं शामिल हैं। इस पंचायत ने महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय प्रगति की है। महिलाओं के लिए मासिक स्वास्थ्य जांच और योग कक्षाओं की व्यवस्था के कारण मातृ मृत्यु दर शून्य रही है। पंचायत ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी बच्चे, विशेषकर लड़कियाँ, नियमित रूप से स्कूल जाएं। पंचायत द्वारा 'बाल सभा' की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य लड़कों और लड़कियों दोनों को आत्म-सुरक्षा कौशल एवं पर्यावरण हितैषी आचरण के लिए सशक्त बनाना है। इसके साथ ही महिलाओं को कढ़ाई, आभूषण निर्माण, साबुन बनाना, बेकिंग (बेकरी कार्य)) जैसे क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएँ, साफ़ पेयजल तक सीमित

पहुँच, और शौचालयों की उचित व्यवस्था का अभाव। इन कमियों के कारण महिलाओं को शौच के लिए दूर-दराज़ के स्थानों तक जाना पड़ता था, जिससे उनकी सुरक्षा और समग्र कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था।

इन समस्याओं के समाधान के लिए, पंचायत ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालयों और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया, जिससे स्वच्छता की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। साथ ही, जल जीवन मिशन के माध्यम से ओवरहेड टैंक और घर-घर नल कनेक्शन स्थापित कर स्वच्छ पेयजल की सुलभता सुनिश्चित की गई। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पंचायत ने एक समर्पित वेबसाइट विकसित की, जिससे वे अपने उत्पादों का विपणन कर सकें और अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें। पंचायत ने विभिन्न राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रभावी उपयोग किया, जिनमें बालिकाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना, 'मगलीर उरिमै थोगई', नाबार्ड, अटल पेंशन योजना, आयुष्मान भारत तथा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शामिल हैं। भविष्य को ध्यान में रखते हुए, पंचायत ने सतत विकास के लिए समग्र समुदाय विकास की रूपरेखा तैयार की है। पंचायत 'महिला सभा' और 'बाल सभा' के माध्यम से महिलाओं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी एवं नेतृत्व को प्रोत्साहित कर रही है, ताकि निर्णय प्रक्रिया में उनकी आवाज सुनी जा सके। सरकारी सहायता का भरपूर उपयोग करते हुए और प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान कर, वरगनूर ग्राम पंचायत एक सुरक्षित समावेशी और सशक्त वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जहाँ महिलाएं और बालिकाएं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें और उनके सर्वांगीण विकास की नींव मजबूत हो।

****

फुलेरा की सरपंच ने अपने कार्यों से यह सिद्ध कर दिया — असली प्रधान कौन ?

पंचायती राज मंत्रालय

पंचायती राज मंत्रालय ने द वायरल फीवर (TVF) के साथ मिलकर एक प्रभावशाली डिजिटल सीरीज 'फुलेरा का पंचायती राज' का निर्माण किया है, जो ग्रामीण स्थानीय शासन से जुड़ी महत्वपूर्ण समस्याओं को बारीकी से उजागर करती है। यह सीरीज लोकप्रिय वेब-शो 'पंचायत' की दुनिया के अंतर्गत तैयार की गई है, जिसमें टीवीएफ के मशहूर कलाकार नीनू गुप्ता, चंदन रॉय और फैसल मलिक ने अभिनय किया है।

इस श्रृंखला के पहले अंक, जिसका शीर्षक है 'असली प्रधान कौन?', ग्राम पंचायतों में सशक्त महिला नेतृत्व पर केंद्रित है और स्थानीय शासन में प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की प्रथा की कड़ी आलोचना करता है। इस एपिसोड को दर्शकों द्वारा बड़े प्यार और सराहना से देखा गया है और अब तक इसके यूट्यूब चैनल पर दस मिलियन से अधिक व्यूज हो चुके हैं।।

"असली प्रधान कौन?" का प्रीमियर 4 मार्च, 2025 को हुआ, जो कि मंत्रालय की "सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान" की शुरुआत के साथ संयोग से हुआ। यह फिल्म नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रदर्शित की गई, जहाँ देशभर से आई 1,200 से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही, जो पंचायती राज संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं।

फिल्म 'असली प्रधान कौन?' यह दर्शाती है कि एक महिला ग्राम प्रधान किस तरह अपने अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग करके जनकल्याण के लिए काम करती है।

'असली प्रधान कौन?' उस 'संपंच पति' संस्कृति पर सवाल उठाती है — जहाँ पुरुष परिवार के सदस्य निर्वाचित महिला नेताओं की जगह अनौपचारिक रूप से काम करते हैं — एक ऐसी प्रथा जो पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के संवैधानिक प्रतिनिधित्व को कमजोर करती है। अपनी भूमिका के बारे में प्रसिद्द अभिनेत्री नीना गुप्ता ने कहा, "ऐसे कहानियों का हिस्सा बनना हमेशा खुशी की बात होती है जिनका कोई उद्देश्य होता है। 'असली प्रधान कौन?' सिर्फ एक फिल्म नहीं है — यह ग्रामीण भारत की महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले वास्तविक जीवन की चुनौतियों का एक प्रतिबिंब है। मैं उत्साहित हूँ कि दर्शक यह देखेंगे कि यह संदेश कहानी के माध्यम से कितनी खूबसूरती से पहुंचाया गया है"

यह पहल हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट "पंचायती राज प्रणालियों और संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और भूमिकाओं के रूपांतरण: प्रॉक्सी भागीदारी के प्रयासों का उन्मूलन" के संदर्भ में आई है, जिसने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है और स्थानीय शासन में सच्चे महिला नेतृत्व को मजबूत करने के लिए मंत्रालय के सतत प्रयासों को गति प्रदान की है। अपनी समग्र दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में, मंत्रालय ने दो अतिरिक्त प्रस्तुतियाँ जारी की हैं — डिजिटल हस्तक्षेप और पारदर्शिता पर आधारित **'फुलेरा में चोरी'** तथा स्व-आय आधारित राजस्व के विषय पर 'अलुआ विकास'। इन सभी कड़ियों ने 1 करोड़ से अधिक व्यूज का आंकड़ा पार कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है।

"फुलेरा में चोरी" SVAMITVA योजना और डिजिटल शासन उपकरण जैसे मेरी पंचायत ऐप के प्रभाव को उजागर करता है, जो दिखाता है कि कैसे ग्रामीण समुदाय पारदर्शी और प्रभावी सेवाओं तक पहुंच बना रहे हैं।

"अलुआ विकास" ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं के राजस्व स्रोत (OSR) उत्पन्न करने के महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालता है, जो ग्रामीण भारत में पंचायती राज संस्थाओं (PRI) की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में मदद करता है। यह फिल्म स्थानीय करों के समय पर भुगतान के बारे में नागरिक जागरूकता को बढ़ावा देती है, और इस बात पर प्रकाश डालती है कि इस तरह के योगदान से बेहतर सेवा वितरण और निरंतर ग्राम विकास कैसे संभव होता है।

आप इन एपिसोड्स को निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं:

"असली प्रधान कौन?

https://youtu.be/aNcYFjB40qQ?si=o7HFpzEE_CbCvXI3

"फुलेरा मे चोरी"

https://youtu.be/h2iej7BIOYA?si=Bm9dNbKOYiDMH-Iv

"अलुआ विकास"

https://youtu.be/mWZq2CHSvMU?si=UNMoxBP yDGmCh9-j

****

राज्य पंचायत अधिनियमों की पुनर्समीक्षा: पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने की एक अनिवार्यता

अमर नाथ एच.के.
एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान
&
आकांक्षा श्रवण
सहायक प्रोफेसर, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थानन

73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) ने पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को 'स्थानीय स्वशासी संस्थाएँ' के रूप में स्थापित किया, जिन्हें न केवल विकासात्मक कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने की ज़िम्मेदारी दी गई, बल्कि उन्हें अपने स्वयं के राजस्व उगाहने और कर तथा शुल्क वसूलने की पर्याप्त वित्तीय स्वायत्तता भी प्रदान की गई, ताकि वे इन कर्तव्यों का निर्वाह सशक्तता से कर सकें। प्रमुख रूप से, ग्राम पंचायतों (GPs) को सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान के लिए राज्य पंचायती राज अधिनियमों के अनुसार कर तथा उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का अधिकार दिया गया। हालाँकि, हाल के भारतीय पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) की रिपोर्ट (2024) में ग्रामीण पंचायतों की वित्तीय स्थिति को तत्काल संजीदगी का विषय बताया गया है। वर्ष 2021-22 में 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ग्राम पंचायतों की कुल प्राप्तियों में उनके अपने स्रोत राजस्व (OSR) का औसत हिस्सा मात्र 6% था। रिपोर्ट के अनुसार, 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति OSR केवल ₹59 दर्ज किया गया। एक ताज़ा आरबीआई अध्ययन भी यही दर्शाता है कि 2022-23 में ग्राम पंचायतों की कुल प्राप्तियों में उनके अपने स्रोत राजस्व की हिस्सेदारी केवल 6.31% थी। ग्राम पंचायतों की कुल आमदनी का लगभग 95% हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाले अनुदानों से बनता है, जिसमें अधिकांश अनुदान केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के मार्गदर्शन में NIPFP द्वारा "स्वयं के स्रोत राजस्व (OSR) उत्पन्न करने के लिए एक व्यवहार्य वित्तीय मॉडल की तैयारी" शीर्षक से किए गए हालिया अध्ययन में यह पाया गया है पंचायती राज संस्थाओं में राजस्व संग्रहण (OSR) कम होने के कारणों

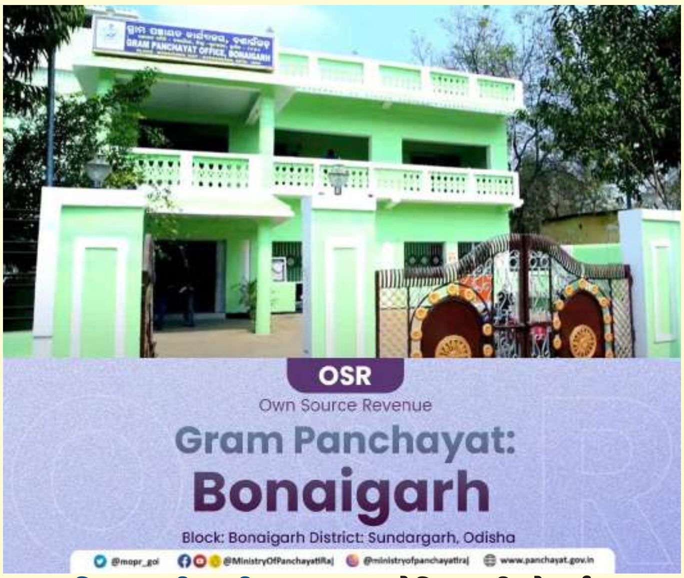

सतत विकास की कुंजी : सुंदरगढ़, ओडिशा की बोनाईगढ़ ग्राम पंचायत आर्थिक, सामाजिक और समग्र प्रगति को आगे बढ़ाने में अपने स्रोतों से प्राप्त राजस्व (OSR) की शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है।

का विश्लेषण करना, केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी या ग्रामीण आबादी की कर भुगतान क्षमता कम होने तक सीमित नहीं है। ग्राम पंचायतों के मापांक शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि जिला एवं ब्लॉक स्तर की पंचायतों को राजस्व जुटाने के लिए या तो कोई अधिकार नहीं हैं या अत्यंत सीमित अधिकार ही प्राप्त हैं।

सर्वप्रथम, राज्य सरकारों ने राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से ग्राम पंचायतों (GPs) को संपत्ति कर, वाहन कर, तीर्थ कर, जल कर/उपयोग शुल्क, स्वच्छता कर आदि जैसे कई कर और शुल्क वसूलने का अधिकार दिया है। लेकिन यह अधिकार राज्यों में काफी अलग-अलग है। 17 प्रमुख राज्यों में से बिहार, पंजाब और पश्चिम बंगाल में केवल 2 करों का अधिकार है, जबकि गुजरात, कर्नाटक और केरल में 8 करों का। हालांकि, हमारी 8 राज्यों की यात्रा में पाया गया कि ग्राम पंचायतें अपने अधिकारों के मुकाबले बहुत कम कर वसूलती हैं। स्वंय के संसाधनों से राजस्व (OSR) वसूली भी बहुत कम है। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश और ओडिशा केवल 1-1 कर वसूलते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश कोई भी नहीं। महाराष्ट्र 4, आंध्र प्रदेश 3 और कर्नाटक 3 कर वसूलते हैं। कई राज्यों में जिला और ब्लॉक पंचायतों को भी कुछ कर वसूलने का अधिकार है।

पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों (GPs) को कई प्रकार के उपभोक्ता शुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त है। अध्ययन में शामिल अधिकांश राज्यों में ग्राम पंचायतों को 10 से अधिक उपभोक्ता शुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त है, केवल उत्तर प्रदेश को छोड़कर, जहाँ यह संख्या केवल 6 है। हालाँकि, इन शुल्कों का निर्धारण, मूल्यांकन और संग्रहण काफी हद तक राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और कार्यकारी आदेशों पर निर्भर करता है। अक्सर देखा गया है कि ग्राम पंचायतों के पास न तो पर्याप्त तकनीकी क्षमता होती है, न ही प्रशिक्षित मानव संसाधन, जिससे वे इन शुल्कों का सही मूल्यांकन और संग्रह कर सकें — साथ ही, कई बार राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी कमी रहती है। आठ राज्यों में किए गए क्षेत्रीय दौरों के दौरान यह बात सामने आई कि केवल कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने ग्राम पंचायतों को करों और उपभोक्ता शुल्कों के निर्धारण एवं संग्रहण में सहायता देने हेतु पर्याप्त दिशानिर्देश जारी किए हैं।

दूसरा, जहाँ–जहाँ ग्राम पंचायतें (जी.पी.) अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कर या उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने का विकल्प चुनती हैं, वहाँ कराधार, आकलन की विधि और वसूली का तरीका अभी भी सर्वोत्तम स्तर पर नहीं पहुँच पाया है। इसका मुख्य कारण आधार, आकलन के तरीकों और कानूनी विवादों को समझने में कमी है। उदाहरण स्वरूप, कई राज्यों में संपत्ति कर का आकलन बिना किसी निश्चित मापदंड के सह–आधारित (एड–हॉक) ढंग से होता है, जिससे संग्रह की मात्रा अनियमित रहती है। एक ही राज्य के भीतर भी विभिन्न जिलों में वसूलनी के नियम एक जैसे नहीं हैं। कर्नाटक इस दृष्टि से आदर्श उदाहरण है, जहाँ राज्य सरकार ने अपने समस्त भवनों व बंजर भूमि का सर्वेक्षण कर, उपयोग–प्रकार (आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक) तथा निर्माण की गुणवत्ता एवं प्रकार जैसे मानदण्डों के आधार पर संपत्ति कर निर्धारित किया है। यद्यपि एक वेब–आधारित अनुप्रयोग उपलब्ध है, फिर भी अनेक ज़िलों में ग्राम पंचायतों स्तर पर पर्याप्त मानवशक्ति न होने के कारण उनके संभव संग्रह क्षमता से कम राशि वसूली जा रही है। कर्नाटक मॉडल तकनीकी दृष्टि से अनुकरणीय तो है, किन्तु अन्य राज्यों में मानवशक्ति एवं क्षमताओं की कमी इसकी तर्ज पर पूरी तरह चलना कठिन बना देती है। संपत्ति कर के अतिरिक्त, जल उपयोग शुल्क, स्वच्छता शुल्क आदि का भी अधिकांश ग्राम पंचायतों में पूर्व–निर्धारित मानदण्ड के अभाव में सह–आधारित ढंग से ही संग्रह होता है, जिससे स्थानीय विकास परियोजनाओं के लिए सुनिश्चित एवं पारदर्शी राजस्व सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

तीसरा यदि सामुदायिक/साझा संपत्ति संसाधनों (CPRs) और सार्वजनिक सेवा प्रदायगी की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को सौंप दी जाए, तो उपयोगकर्ता शुल्क (यूज़र चार्ज) की वसूली में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। खासकर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, जहाँ आज भी पेयजल आपूर्ति संबंधित विभागों के अधीन है, वहाँ यह परिवर्तन बेहद प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। इसी तरह, छोटे वन क्षेत्र, जल स्रोत (जैसे छोटे सिंचाई तालाब), जो आज भी वन, सिंचाई, मत्स्य या राजस्व विभागों के अधीन हैं — यदि इन संपत्तियों को ग्राम पंचायतों की संरक्षकता में सौंप दिया जाए, तो न केवल इन संसाधनों और सेवाओं का बेहतर रखरखाव संभव होगा, बल्कि पंचायतें अपनी आय में भी

वृद्धि कर सकेंगी।

चौथा, विवादित ज़मीनों, सीमांकन और अतिक्रमण से जुड़ी कानूनी पेचीदगियाँ न केवल भारी मुकदमेबाज़ी का कारण बनती हैं, बल्कि संभावित संसाधनों की हानि भी करती हैं। कई राज्यों में अब भी यह स्पष्ट नहीं है कि अवैध या विवादित ज़मीनों पर बने मकानों से संपत्ति कर कैसे वसूला जाए। ज़मीनी स्तर पर यह धारणा है कि कर या लाइसेंस शुल्क चुकाने से मालिकाना हक़ मिल जाएगा, जिससे पंचायतें ऐसे मामलों में कर वसूली से बचती हैं। यही स्थिति कृषि भूमि या बसावट क्षेत्र से बाहर की भूमि पर बने भवनों पर कर लगाने को लेकर भी है।

पांचवां, पंचायती राज की दृष्टि से देखा जाए तो, राज्य वित्त आयोगों (SFC) का समय पर गठन और उनकी सिफारिशों का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की राजस्व स्थिति को मज़बूत कर सकता है। लेकिन कई राज्यों में इसमें रुचि नहीं होती। कुछ राज्य, आयोग की सिफारिशों के आधार पर, स्टांप व पंजीकरण शुल्क, मनोरंजन कर और व्यवसाय कर जैसे उपकर स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करते हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य ये राजस्व न केवल शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को, बल्कि ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) को भी देते हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इन्हें केवल ULBs को ही देते हैं। इसी तरह, कर्नाटक में व्यवसाय कर केवल ULBs को ही दिया जाता है, RLBs को नहीं।

अंततः अंततः, अधिकांश राज्यों में ग्राम पंचायतें (GPs) लंबे समय से चली आ रही पर्याप्त मानव संसाधन की कमी से जूझ रही हैं। अधिकतर मामलों में, ग्राम पंचायत में केवल एक या दो राज्य-नियुक्त कर्मचारी ही कार्यरत होते हैं, जो विकास कार्यों की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संभालते हैं।

OSR निर्माण के साथ-साथ, कई बार एक ही ग्राम पंचायत सचिव एक से अधिक पंचायतों का दायित्व संभाल लेता है, जिसके कारण वह OSR के संवर्धन के बजाए योजनात्मक विकास कार्यों में उलझ जाता है।

तालिका A. स्ववित्तीय स्रोतों से राजस्व संग्रह (कर और उपभोक्ता शुल्क) – 2023-24 (रुपये में)

राज्य	औसत निकालना	बहुत छोटा	अधिकतम
आंध्र प्रदेश	481	13 (मोलगावल्ली, कोटटाला)	1544 (बिल्लेकल्लू)
गुजरात	254	34 (हैजराबाद)	746 (तूफान शेठ)
कर्नाटक	401	60 (रामापुरा)	760 (थोंदेभवी)
मध्य प्रदेश	20	0 (बसदी, लोहारवाड़ा, खाम्हा, कुसमी, मडिया अग्रसेन)	123 (झुंकू)
महाराष्ट्र	846	199 (विजयगोपाल)	3750 (वाडी रत्नागिरी)
ओडिशा	65	0 (बोरिकिना, पांडुआ, मोचीबहल)	242 (नुआगढ़)
उत्तर प्रदेश	47	0 (कसमपुरगढ़ी, सीरवासुचन्द, मंडावली, कुरसठ रुरल, शादी पुर, मरौंदा सुचित, पटरी)	373 (जलबपुर गुडाल)
पश्चिम बंगाल	71	10 (अंगभाषा-II)	189 (बैकुंठपुर-II)

एक प्रभावी विकेंद्रीकरण के पारिस्थितिकी तंत्र में, जहाँ ग्राम पंचायतें (GPs) अपनी आमदनी के जरिए मूलभूत सेवाओं के रखरखाव को स्वयं संभाल सकें, वहाँ यह आवश्यक है कि रिपोर्ट में बताई गई कुछ प्रमुख अड़चनों को दूर किया जाए। जिनमें मुख्य हैं—1.राज्य पंचायती राज अधिनियमों, संबंधित नियमों, दिशानिर्देशों और संशोधनों का सम्यक् रूप से पुनःसमीक्षा करना, जो लंबे समय से संशोधित नहीं हुए हैं। 2.सार्वजनिक सेवा प्रावधानों और साझा संसाधनों (CPRs) का स्पष्ट रूप से गतिविधि के अनुसार मानचित्रण करना और उन्हें स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (RLBs) को सौंपना। 3.विभिन्न करों और उपयोग शुल्कों के आधार और आकलन को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने हेतु आदेश जारी करना। 4.विशेषकर ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यक जनशक्ति की पूर्ति करना। 5.जिला स्तर पर एक समर्पित इकाई का गठन करना, जो ग्राम पंचायत स्तर पर क्षमता निर्माण कार्यों को संभाले, ताकि वे पंचायती राज संस्थाओं के अधिनियमों को बेहतर समझ सकें। उच्च तकनीकी ज्ञान द्वारा ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना ताकि वे अपने राजस्व स्रोत स्वयं विकसित कर सकें, अंततः सम्पत्ति कर, जल दरें तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर शुल्क निर्धारण के मूल्यांकन को सरल, पारदर्शी और स्थानीय स्तर पर कम मनमानेपन से सम्पन्न कर सकें।

पंचायती राज की दृष्टि से, जनसेवा प्रदाय और सामुदायिक संपदा संसाधनों (CPRs) से आय जुटाकर ग्राम पंचायतों को स्वावलंबी बनाया जा सकता है, साथ ही संपत्ति कर का आकलन भी सरल हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में पीएचईडी और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग से जलापूर्ति प्रणालियों का हस्तांतरण, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में (जहाँ अभी तक इस सुविधा का प्रावधान नहीं है) ग्राम पंचायतों द्वारा संपत्ति कर लगाने की व्यवस्था, एवं उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक गतिविधियों पर लाइसेंस शुल्क का संभागीय पंचायतों से ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण—ये सभी कदम पंचायतों की आय बढ़ाने में निर्णायक साबित हो सकते हैं। यह रिपोर्ट एक स्पष्ट और व्यवहारिक वित्तीय मॉडल प्रस्तुत करती है, जो प्रादेशिक पंचायत संस्थाओं (PRIs) की राजस्व जुटाने की क्षमता को परिभाषित करता है। इससे वे दिल्चस्प एवं संवेदनशील रूप से अपनी आय स्वयं अर्जित कर सकेंगी, बजाए यह कि वे केवल अनिवार्य अनुदानों पर निर्भर रहें। इस रिपोर्ट में पंचायतों की आय में सुधार लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी आवश्यक आयोजन विधियों का विस्तृत विवरण दिया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न राज्यों में करों का सशक्तिकरण और अधिरोपण

करों	जिला परिषद		बीपी		जीपी	
	अधिकार-प्रदत्त	लगाया	अधिकार-प्रदत्त	लगाया	अधिकार-प्रदत्त	लगाया
आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	6	3
गुजरात	8	-	8	-	8	2
कर्नाटक	-	-	-	-	8	3
मध्य प्रदेश	-	-	2	-	7	1
महाराष्ट्र	4	-	-	-	7	4
ओडिशा	-	-	-	-	3	1
पश्चिम बंगाल	1	1	1	1	2	2
उत्तर प्रदेश	2	1	1	-	6	-
उत्तराखंड	-	-	2	-	6	-
पंजाब	-	-	1	-	2	-
राजस्थान	-	-	3	-	6	-
हरियाणा	-	-	-	-	3	-
झारखंड	2	-	2	-	4	-
बिहार	1	-	1	-	2	-
तेलंगाना	-	-	-	-	4	-
तमिलनाडु	-	-	1	-	5	-
केरल	-	-	-	-	8	-

प्रयोक्ता प्रभारों का सशक्तिकरण और विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में उद्ग्रहण।

उपयोगकर्ता शुल्क	जिला परिषद		बीपी		जीपी	
	अधिकार-प्रदत्त	लगाया	अधिकार-प्रदत्त	लगाया	अधिकार-प्रदत्त	लगाया
आंध्र प्रदेश	3	3	-	-	11	9
गुजरात	7	-	7	-	13	7
कर्नाटक	2	-	2	-	24	2-
मध्य प्रदेश	1	-	3	2	14	7
महाराष्ट्र	5	1	-	-	28	25
ओडिशा	-	-	1	1	13	8
पश्चिम बंगाल	5	-	9	5	24	13
उत्तर प्रदेश	12	5	9	-	6	2
उत्तराखंड	3	-	-	-	12	-
पंजाब	-	-	5	-	6	-
राजस्थान	4	-	1	-	2	-
हरियाणा	1	-	3	-	9	-
झारखंड	4	-	4	-	3	-
बिहार	4	-	5	-	5	-
तेलंगाना	1	-	1	-	3	-
तमिलनाडु	3	-	9	-	9	-
केरल	2	-	2	-	12	-

पंचायती राज मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेट फार्म

(मंत्रालय से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रम एवं पहलों की ताजा जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़ें)

https://x.com/mopr_goi

https://www.facebook.com/ MinistryOfPanchayatiRaj

https://www.youtube.com/ @ MinistryOfPanchayatiRaj

https://www.instagram.com/ ministryofpanchayatiraj/

https://public.app/user/profile/ iE23ulg7neUDYrC9tNIDfQfzaZI2

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित

मुख्य संपादकः श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, टावर-2, 9 वां तल, जीवन भारती बिल्डिंग, संसद मार्ग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001 द्वारा प्रकाशित